अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

केवल सदस्यों के लिए   अप्रैल 2006   मूल्य 3 रुपये

हत्यारे बुश वापस जाओ!

हत्यारे बुश वापस जाओ!

केरल से कश्मीर तक और त्रिपुरा से गुजरात तक, देश के कोने–कोने में और सैंकड़ों कस्बों, शहरो तथा महानगरों में छोटे बड़े विरोध प्रदर्शनों के ज़रिये, दसियों लाख लोगों ने भारत की जनता का दो टूक फैसला सुनाया कि हत्यारे बुश वापस जाओ! अफगानिस्तान और इराक के हत्यारे के लिए भारत की परंपरागत मेहमाननवाज़ी का दामन फैलाने से इन्कार करते हुए, भारतीयों के सभी तबको ने साफ–साफ ऐलान कर दिया –बुश हैवान, किसका मेहमान! केरल, त्रिपुरा, बंगाल, तमिलनाडु, असम तथा महाराष्ट्र से बहुत बड़े पैमाने पर बुशविरोधी विरोध प्रदर्शनों की खबरें इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक पहुँच चुकीं थीं।

संसद मार्ग पर पहुँच कर यह मार्च विरोध सभा में बदल गया। प्रकाश कारात ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आगाह किया कि अगर देश की स्वतंत्र विदेश नीति को छोड़ा गया तो सप्रसंग सरकार जनता से पूरी तरह अलग–थलग पड़ जाएगी। उनका कहना था कि मनमोहन सिंह सरकार को यह समझना चाहिए कि वामपंथ साम्राज्यवाद को लेकर भी उतना ही गंभीर है, जितना कि वह सांप्रदायिकता को लेकर गंभीर है।

उनका कहना था कि भारत की जनता साम्राज्यवाद के साथ किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नही करेगी। इसका जो भी परिणाम होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी सप्रसंग सरकार की होगी। विदेश नीति के बारे में आमराय होने के तमाम दावों को खारिज करते हुए प्रकाश कारात ने कहा कि अमरीकी साम्राज्यवाद के सामने समर्पण के मामले में कांग्रेस के साथ सिर्फ एक ही पार्टी है, और वह है भाजपा। उन्होनें बताया कि बुश की भारत यात्रा के खिलाफ देश में हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

ठीक इस विरोध सभा के समय ही बुश प्रशासन के साथ सप्रसंग सरकार द्वारा विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने का ज़िक्र करते हुए प्रकाश कारात ने कहा कि ये समझौते आज देश के सामने गंभीर चुनौती हैं। उनका कहना था कि अमरीका हमारे कषि क्षेत्र को मोनसेंटो जैसी अपनी बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खुलवाना चाहता है, जिससे हमारे किसानों का जीवन और तबाह हो जाएगा।

प्रकाश कारात ने कहा कि अगर हमारे देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो इसकी वजह बुश प्रशासन की नीतियां ही हैं। उन्होनें देश की जनता से इस आवाहन के साथ अपनी बात खत्म की कि अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ इस प्रतिरोध और खासतौर से सप्रसंग सरकार के समझौतावादी रूख के खिलाफ संघर्ष को आगे बढाएं।

आंध्र प्रदेश

अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश की आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद की यात्रा का जहाँ एक तरफ वामपंथी पार्टियों, जनसंगठनों और अन्य लोगों ने जोरदार और व्यापक विरोध किया, वहीं दूसरी ओर सरकार ने उसका स्वागत किया।

3 मार्च को बुश की यात्रा के विरोध में सी पी आई (एम), सी पी आई, सी पी आई (एम एल) लिबरेशन और एम एल कमेटी ने एक विशाल रैली का आयोजन किया। इन पार्टियों की अगुवाई में "बुश गो बैक" (बुश वापस जाओ) के विशाल बैनरों और बुलंद नारों के साथ सुंदरैया विज्ञान केंद्रम से यह रैली शुरू हुई और इंदिरा पार्क पहुँचकर आम सभा में बदल गई।

वहाँ चार वामपंथी पार्टियों और जन संगठनों के लाल झंडे और बैनर लहरा रहे थे और रैली में आए लोग बुश की यात्रा तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। अनेक लोग फेंसी ड्रैस पहने जार्ज बुश का रूप धारण किए हुए थे और लुटेरे साम्राज्यवाद की साजिशों को बेनकाब कर रहे थे। यहां उल्लेखनीय है कि हैनरी और रेबेका कारडोरा नामक दो अमरीकीयों, जिनमें एक न्यूयार्क और दूसरा टेक्सास का रहने वाला है, ने भी रैली में भाग लिया। उन्हें मीडीया से इस विरोध रैली की जानकारी मिली थी और इस रैली में शामिल होने के लिए वे चेन्नई से यहां पहुँचे थे। उन्होने अपने हाथों में पोस्टर उठा रखे थे, जिनमें बुश की निन्दा की गई थी। एक पोस्टर में बुश को ''विश्व आतंकवादी'' बताया गया था तो दूसरे में उसे ''युद्ध अपराधी'' करार दिया गया था।

ऐसी ही धरना रैलियाँ कोलकाता, मुम्बई, अगरतला गुवाहाटी, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, रांची इत्यादी तथा बहुत से दूसरे स्थानों पर देशभर में हुईं। पश्चिम बंगाल में वामपंथ के आवाहन पर 27 फरवरी से 2 मार्च तक जिला स्तर पर विशाल रैलियां हुईं। पश्चिम बंगाल में दो मार्च को यूएस सूचना केंद्र के पीछे राज्य के विभिन्न भागों से लोगों ने प्रदर्शन किया।

मुम्बई में आजाद मैदान में एक लाख लोगों की विशाल रैली सी पी आई (एम), सी पी आई तथा एस पी तथा विशाल संगठनों तथा प्रोग्रेसिव एनजीओज़ एवं मुस्लिम संगठनों द्वारा आयोजित की गई थी। अगरतला की राजधानी त्रिपुरा में भी एनपीएमओ के आवाहन पर एक विशाल जुलूस बुश विरोधी नारे लगाते हुए शहर में मार्च किया।

एक नोट करने लायक बात यह थी कि सभी प्रदर्शनों में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया। यह भी साफ है कि भारत में लोगों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं उभर रहीं हैं जो कि साम्राज्यवाद के विरूद्ध विश्वव्यापी संघर्षो का एक भाग बन रहीं हैं। ❑

संघीय बजट : कुछ सवाल

0 वृंदा करात

सरकार के लिए बजट बेशक इसका मौका होना चाहिए था कि वह साझा न्यूनतम कार्यक्रम का पालन करने के लिए अपनी वचनबद्धता का सबूत दे। बहरहाल, वित्त मंत्री ने अपनी पीठ खुद ठोकने के सुर में, तुलनात्मक फीसदों के उन्हीं दावों का सहारा लिया है जिन्हें टेलीविजन के हरेक चैनल पर सुन-सुनकर लोगों के कान पक गए हैं और उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि ''आम आदमी'' के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। हालांकि, पिछले राजग सरकार के राज की तुलना में इस बार के बजट को बेहतर भी कहा जा सकता है, लेकिन इतना तो काफी नहीं है। सिर्फ एक मिसाल ले लें। संप्रग सरकार ने आठ कार्यक्रमों को अपने ''फ्लैगशिप'' यानी ऐसे कार्यक्रम घोषित किया है, जिनकी सरकार बकायदा नुमाइश करने जा रही है। इन आठ कार्यक्रमों में स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर के भोजन के कार्यक्रम से लेकर, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तक शामिल हैं। इन आठों कार्यक्रमों के लिए आवंटन में 43.2 फीसद की बढ़ोतरी का तो खूब ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन सचाई यह है कि इन आठों कार्यक्रमों को मिलाकर आवंटन में कुल 15,800 करोड़ रु0 की बढ़ोतरी की गयी है। कहने की जरूरत नहीं है कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किए गए वादे से बहुत कम है, जिसके हिसाब से स्वास्थ्य व शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के क्रमश: 3 फीसद तथा 6 फीसद के स्तर पर खर्चा ले जाने के लिए ही, इन आठों कार्यक्रमों को मिलाकर रखी गयी कुल बढ़ोतरी से, खर्चों में कहीं बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की जरूरत होगी।

अमीरों पर मेहरबान

बहरहाल, निवेश में बढ़ोतरी की मांग आते ही सरकार उस स्वघोषित पाबंदी की दुहाई देने लगती है, जो 2003 के राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन कानून (एफ आर बी एम) के नाम पर उसने अपने लिए लगायी हैं। याद रहे कि यह कानून पिछली राजग सरकार ने, कांग्रेस की मदद देश की संसद से पारित कराया था। इसके पीछे एक ही मकसद था कि ''वित्तीय समझदारी'' के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक के उस खाके का पालन सुनिश्चित किया जाए, जो सामाजिक क्षेत्र पर खर्चे करने के प्रति सरकार की अनिच्छा का ही दूसरा नाम है। इस संदर्भ में, चूंकि साझा न्यूनतम कार्यक्रम के पालन के लिए संसाधन जुटाने में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जरूरत होगी, इसका एक सीधा सा तरीका तो यही था कि धनी तबकों पर करों का बोझ बढ़ाया जाता। लेकिन, सरकार तो नैगम भारत के हितों की रक्षा करने के नव-उदारवादी रास्ते पर मजबूती से कायम रही है। बेशक, सकल कर राजस्व में 19.9 फीसद की बढ़ोतरी अच्छी बात है। लेकिन, जब वित्त मंत्री इस आधार पर यह दावा करते हैं कि इससे यह साबित होता है कि कर थोड़ा होता है, तो कर राजस्व वसूली ज्यादा होती है, अगर सीधे-सीधे गुमराह करने की कोशिश न भी हो तब भी ऐसा दावा जरूर है जिसका सचाई से दूर-पास का भी संबंध नहीं है। वित्त मंत्री के दावे के विपरीत, सचाई यह है कि हालांकि वित्त मंत्री महोदय ने अपने पिछले बजट में नैगम हलकों के करों को 33 फीसद से घटाकर 30 फीसद कर दिया था, राजस्व प्राप्ति के आंकड़े नैगम करों की मद में प्राप्तियों में कोई बढ़ोतरी नहीं बल्कि 7,000 करोड़ रु0 की **कमी** रह जाने को ही दिखाते हैं। सेवाओं के क्षेत्र से कर राजस्व में और तटकरों से राजस्व में ही बढ़ोतरी हुई है।

इसी प्रकार, 99,000 करोड़ रु0 के प्रत्यक्ष करों के विशाल बकाया में से, सिर्फ 7,000 करोड़ रु0 अगले वित्त वर्ष में वसूल किए जाने का अनुमान बजट में पेश किया गया है। याद रहे कि इन्हीं नैगम हलकों पर सार्वजनिक बैंकों का भी बहुत भारी बकाया है, जो 1,00,000 करोड़ रु0 से भी ज्यादा बैठेगा। बहरहाल, नैगम हलकों और उनके प्रति चिर-कृपालु वित्त मंत्री के लिए यह कोई मुद्दा ही नहीं है। देश को वित्त मंत्री से इसका जवाब चाहिए कि क्या वजह है कि उन्होंने बेईमानी करने वाली नैगम सत्ताओं को दंडित करने और उन पर बकाया सरकारी पैसा वसूल करने के लिए, कोई कदम ही नहीं उठाए हैं। पिछले साल उन्होंने नैगम हलकों को करों में महत्वपूर्ण राहतें दी थीं--एक ओर उन पर कोई नये कर नहीं लगाए गए थे और दूसरी ओर शेयर बाजारों में अंधाधुंध कमाई कर रहे बहुराष्ट्रीय निगमों तथा वित्तीय खिलाड़ियों को, दीर्घावधि पूंजी लाभ करों से बरी कर दिया गया था। इन छूटों को जारी रखकर, वित्त मंत्री ने नैगम सत्ताओं को इस बार भी उपहार देना जरूरी समझा है।

इसी प्रकार, संपत्ति कर की दर सिर्फ 1 फीसद बनी हुई है और इस मद में भी राजस्व वसूली बहुत कम है। आज जबकि देश में स्वघोषित अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, पूरे देश में संपत्ति कर के रूप में सिर्फ 265 करोड़ रु0 का राजस्व जमा हो रहा है। इस तरह, वित्त मंत्री चाहे दावे कुछ भी क्यों न करें, उनकी बजट चिंता में बोलबाला **खास** आदमी का ही है, न कि **आम** आदमी का।

खेती की उपेक्षा जारी रहेगी

अगर नैगम क्षेत्र के प्रति वित्त मंत्री महोदय इतने **दयालु** हैं, तो कृषि क्षेत्र के प्रति तथा कुल मिलाकर खाद्य सुरक्षा के प्रति उनका बजट एक तरह से निर्मम ही बना रहा है। बेशक, यह कहना तो किसी का भी नहीं है कि बजट से, भारतीय किसानों की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। लेकिन, क्या वित्त मंत्री से इसकी उम्मीद करना भी बहुत ज्यादा था कि देश के विशाल हिस्से में व्याप्त कृषि संकट के प्रति वह थोड़ी-बहुत संवेदनशीलता तो दिखाते। क्या वित्त मंत्री को पता नहीं है कि पिछले आठ साल में ही 50 हजार से ज्यादा किसानों ने, खेती की लागतों में बहुत भारी बढ़ोतरी तथा दूसरी ओर खेती की पैदावार की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के चलते, कर्जे के भारी बोझ से दबकर आत्महत्या की है। खुद मौजूदा सरकार द्वारा ही एम एस स्वामिनाथन की अध्यक्षता में जो काश्तकार आयोग गठित किया गया था, उसने दूसरी चीजों के अलावा काश्तकारों को ऋणों के कमरतोड़ बोझ से बचाने का आग्रह किया है। इस सिलसिले में आयोग ने एक सिफारिश तो यह की है कि कृषि ऋणों पर वसूल किए जाने वाला ब्याज घटाकर 4 फीसद कियां जाए। इसके साथ ही इस आयोग की एक और महत्वपूर्ण सिफारिश, खेती की पैदावार की कीमतों को बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव की मार से बचाने के लिए, एक मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की है। सवाल यह है कि इस तरह की मदद के अभाव में, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऋणों की उपलब्धता में बढ़ोतरी, अपने स्वागतयोग्य होते हुए भी, छोटी-छोटी जोतों वाले किसानों के विशाल बहुमत को मौजूदा दयनीय हालात में से उबारने में कितने मददगार हो सकती है? बजट में कृषि ऋणों पर ब्याज की दर 9 फीसद से घटाकर 7 फीसद करने जो इकलौती रियायत वित्त मंत्री ने दी है, न तो पर्याप्त है और न ही उचित है। वित्त मंत्री कम से कम इतना तो कर ही सकते थे कि कपास जैसे जिन आयातित कृषि उत्पादों से हमारे घरेलू बाजार पटे हुए हैं, उन पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी कर देते। जाहिर है कि वित्त मंत्री के ऐसे कदम से काश्तकारों को कुछ राहत तो मिली होती। इस तरह यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे ज्वलंत मुद्दे को हाथ में लेने में पूरी तरह से विफल रहा है।

बहरहाल, इस बजट का सबसे चिंताजनक पहलू है, खाद्य सुरक्षा के प्रति इसका रुख। वास्तव में इस मामले में बजट का रुख खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता को और खाद्य सुरक्षा को कमजोर करने वाला है। हाल के

अध्ययनों ने एक बार फिर हमारे देश में कुपोषण की दर बहुत ऊंची रहने की पुष्टि की है। इसे देखते हुए यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि खाद्य अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को--जिसमें खाद्यान्न उत्पादन, खरीद तथा वितरण तीनों ही शामिल हैं--मजबूत किया जाए तथा आगे बढ़ाया जाए। इसकी जगह पर इस बजट में, खाद्य सब्सीडी में 2000 करोड़ रु0 की कटौती और कर दी गयी है। सरकार का दावा है कि उसके गोदामों में जमा अनाज के अतिरिक्त भंडार घट जाने के चलते, इन भंडारों के परिवहन तथा भंडारण की मदों में वह करीब 3000 करोड़ रु0 की बचत करने जा रही है। कहने की जरूरत नहीं है कि भंडारण आदि के खर्चों में कमी से बचने वाली इस राशि को, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आश्वासन को पूरा करने में लगाया जा सकता था।

खाद्य सुरक्षा खतरे में

यही नहीं, सरकार के हाथों में खाद्यान्न के फालतू भंडारों को निकालने का काम भी काफी हद तक चोरी-छिपे किया गया है। सरकार ने यह स्पष्ट ही नहीं किया है कि पिछली राजग सरकार की ही तरह उसने भी, अनाज के इन भंडारों का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने के लिए करने की जगह, खाद्यान्न का निर्यात करना ही बेहतर समझा था। अनाज का यह निर्यात 2005 के जुलाई के महीने तक चल ही रहा था। और एक दिन सरकार को इसका एहसास हुआ कि खाद्यान्न के भंडार तो बफर स्टाक के स्तर से नीचे चले गए हैं। अब उसने 5 लाख टन गेहूं का आयात करने का फैसला लिया, जिसके लिए उसने भारतीय किसानों को खरीद के लिए दी जाने वाली कीमत से कम से कम 300 रुपया प्रति क्विंटल ज्यादा कीमत दी है। बफर स्टाक के मानक स्तर से गिरने की एक वजह यह भी रही कि इस साल गेहूं की सरकारी खरीद, चार साल पहले के स्तर के मुकाबले, 40 लाख टन कम रही है। सरकार वास्तव में ऐसे रास्ते पर चलना चाहती है, जहां पूरी की पूरी खाद्य अर्थव्यवस्था को ही बाजार की ताकतों के हवाले कर दिया जाएगा।

सचाई यह है कि मौजूदा सरकार वास्तव में, खेती की पैदावार की खुली खरीद को खत्म कर, उसकी जगह पर न्यूनतम कोटा पर आधारित व्यवस्था को लाना चाहती है और इस तरह खाद्यान्न उत्पादक किसानों को कारगिल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ही रहमो-करम पर छोड़ देना चाहती है। चूंकि किसानों का विशाल बहुमत अपनी पैदावार को रोके रखने की सामर्थ्य ही नहीं रखता है, इसके चलते उन्हें हताशा में औने-पौने दामों पर अपनी पैदावार बेचने के लिए और ज्यादा बड़े पैमाने पर मजबूर किया जा रहा होगा। जाहिर है कि इसकी खाद्य सुरक्षा तथा खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता पर भी गहरी चोट पड़ेगी।

इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के अनुरूप, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाज के भंडार भी घटाने की कोशिश की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खाद्य सुरक्षा के जनता के बुनियादी अधिकार पर इस सरकार के हमले का अंदाजा, वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट में की गयी इस अपील से भी लग जाता है कि खाद्य सब्सीडी में कटौती के लिए सर्वानुमति बनायी जाए। यह शर्मनाक तथा हैरान कर देने वाली बात है कि संप्रग सरकार का बजट, अंत्योदय या गरीबी की रेखा के नीचे की श्रेणी में एक भी नया परिवार नहीं जोड़ता है। खाद्य सुरक्षा तथा सस्ती दरों पर पर्याप्त अनाज मुहैया कराए जाने का मुद्दा, देश की जनता के जीवन पर सबसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने वाला मुद्दा है। बजट में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संप्रग सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमीकरण करने के लक्ष्य से उल्टी दिशा में चल रही है। यह सहन नहीं किया जा सकता है और प्रभावी जन-लामबंदी के जरिए इसका मुकाबला करना होगा।

ग्रामीण रोजगार या आंकड़ों का खेल

विभिन्न ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के आवंटनों के बीच आंकड़ों का खेल भी चिंता का विषय है। ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का बहुत बड़े पैमाने पर स्वागत हुआ है और इस कानून के अंतर्गत नामों के रजिस्ट्रेशन के लिए देखने में आया लोगों का उत्साह दिखाता है कि यह पहल कितनी महत्वपूर्ण है। फिर भी इसके लिए आवंटन के परिमाण को लेकर अनेक सवाल उठे हैं। इससे पहले हमारे देश में ग्रामीण रोजगार के दो प्रमुख कार्यक्रम थे--संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाइ) और काम के लिए अनाज कार्यक्रम। 2005-06 के बजट में इन दोनों कार्यक्रमों के लिए 9,000 करोड़ रु0 का आवंटन किया गया था। वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने इस मद में करीब 3,000 करोड़ रु0 का अतिरिक्त खर्चा किया था। यानी इन कार्यक्रमों पर पिछले साल ही 11,750 करोड़ रु0 खर्च किए गए थे। हम यह मानकर चल सकते हैं कि इसमें काम के लिए अनाज कार्यक्रम के अनाज के घटक का खर्चा भी शामिल है, जो वास्तव में इस वित्त वर्ष में दोगुना हो गया था। लेकिन, चालू बजट में इन दोनों कार्यक्रमों के लिए कुल 12,870 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया है। इसमें से 2,700 करोड़ रु0 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए रखे गए हैं और शेष राशि देश के 200 जिलों में ग्रामीण रोजगार गारंटी लागू करने के लिए रखी गयी है।

दूसरे शब्दों में बजट अनुमानों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के जरिए मिलने वाले ग्रामीण रोजगार के लिए कुल आवंटन, पिछले साल इस मद में वास्तव में जो खर्चा किया गया था उसके मुकाबले घटा दिया गया है। इसकी दो व्याख्याएं हो सकती हैं। पहली तो यही कि यह हाथ की सफाई का मामला है और इस गणना में जान-बूझकर संबंधित कार्यक्रम के खाद्यान्न घटक को शामिल नहीं किया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि कुल मिलाकर हिसाब-किताब राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून के दायरे में ही बना हुआ है। इसकी दूसरी व्याख्या यह हो सकती है और शायद यही ज्यादा सच हो कि इस तरह, रोजगार गारंटी कार्यक्रम के दायरे से बाहर, देश के 400 के करीब जिलों में ग्रामीण गरीबों के रोजगार के अधिकार में वास्तव में कटौती ही करने की कोशिश की जा रही है। इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होंगे। आवंटनों को राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम में स्थानांतरित करने तथा उनमें बढ़ोतरी दिखाने की यह तिकड़मबाजी, वास्तव में देश के 400 जिलों में ग्रामीण रोजगार पर किए जाने वाले खर्च में कटौती की सचाई को ही अपने पीछे छुपा रही है। बहरहाल जो भी, वित्त मंत्री को देश के सामने इस मामले में पूरी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

राज्यों पर हमले

इसी प्रकार इस बजट में आम केंद्रीय सहायता योजना में, राज्यों के लिए अनुदान के घटक में करीब 2,700 करोड़ रु0 की कटौती कर, पहले ही बुरी तरह से बोझ के नीचे दबे राज्यों पर और बोझ डाल दिया गया है। याद रहे कि सिर्फ यही केंद्रीय सहायता है जो राज्यों को बिना शर्त दी जाती है और इसमें कटौती का राज्यों पर और भी भारी बोझ पड़ेगा। यह कटौती योजना आयोग के इस आश्वासन को झुठलाते हुए की गयी है कि इस साल राज्यों को दी जाने वाली सहायता में बढ़ोतरी की जाएगी। यह भी हैरानी की बात है कि पिछले वित्त वर्ष से संबंधित संशोधित अनुमानों के अनुसार, इस मद में राज्यों को दी गयी केंद्रीय सहायता, वास्तव में पिछले बजट के प्रस्ताव के मुकाबले 1,500 करोड़ रु0 के करीब कम रही थी। इन्हीं सब तिकड़मों से राज्यों को बढ़ते पैमाने पर बाजार से ऋण लेने की ओर धकेला जा रहा है। इसकी चोट अंततः जनता के हितों पर ही पड़ रही है और इसीलिए इसका दृढ़तापूर्वक मुकाबला करना जरूरी है।

ताजा बजट में लिंग के आधार पर पृथक्कृत आंकड़ों का दायरा बढ़ाकर, 18 मंत्रालयों व विभागों से संबद्ध, 24 मांगों के लिए आवंटनों तक कर दिया है। पिछले बजट में यह दस मांगों के लिए आवंटनों तक ही सीमित था। लेकिन, लिंग संवेदनशीलता का आवंटनों की आम दिशा के दायरे में, महिलाओं के लिए ठोस आवंटनों में प्रतिबिंबन होना चाहिए। जब कृषि, खाद्य तथा रोजगार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आम दिशा ही नकारात्मक है, महिलाएं किस लाभ की उम्मीद कर सकती हैं। ❑

आइफा की कार्यकारिणी कमेटी

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन (आइफा) की कार्यकारिणी कमेटी की बैठक 18 से 19 जनवरी 2006 को श्रमिक भवन, कोलकाता में हुई। 14 राज्यों से 33 सदस्यों तथा अतिथियों ने बैठक में भाग लिया। कार्यकारिणी कमेटी की बैठक से पूर्व 17 जनवरी को पदाधिकारियों की बैठक हुई। आइफा की अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा ने दोनों बैठको की अध्यक्षता की, जिसमें सीटू सचिव कनाई बैनर्जी ने भाग लिया।

कार्यकारिणी कमेटी में आइफा के 8 से 11 नवंबर 2005 को बैंगलूर में हुए पांचवें अधिवेशन की समीक्षा की गई तथा समाप्ति इस बात पर हुई कि पिछले सभी अधिवेशनों की तुलना में यह अच्छे स्तर का अधिवेशन था। यूनियन की कर्नाटक राज्य कमेटी को आकर्षक रैली तथा अधिवेशन की व्यवस्थाओं के लिए बधाई दी गई।

फैडरेशन की महासचिव हेमलता ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए देश की वर्तमान राजनैतिक स्थिति, जिसमें कांग्रेस नीत यूपीए सरकार द्वारा की जाने वाली जनविरोधी आर्थिक नीतियों के पालन का वर्णन किया। उनहोने कामकाजी वर्ग पर जन विरोधी नीतियों के फलस्वरूप बढ़ते हुए हमलों के कई उदाहरण दिए। मुख्य विरोधी दल भाजपा इस स्थिति में नही था कि किसी प्रो पीपुल्स अल्टर्नेअिव नीतियों को ला सके। वे केवल वामपंथी दल हैं जिनकी नीतियाँ ठोस हैं। रिपोर्ट में न केवल आंगनवाड़ी कर्मचारियों की हाल की मांगों पर देशव्यापी संघर्षों को तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया बल्कि उन्हें टेड यूनियनों तथा जनता के विभिन्न विभागों व्दारा किए जाने वाले विश्वीकरण की साम्राज्यवादी नीतियों के विरोध में संघर्षों का भाग बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

सभी राज्यों से सदस्यों ने बहस में भाग लिया तथा एकमत होकर रिपोर्ट को सराहा तथा कार्यों को स्वीकारा।

कमेटी ने सीटू की भोपाल कार्यकारिणी कमेटी के निर्णयानुसार साम्राज्यवाद विरोधी दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को तथा ट्रेड युनियन अधिकारों पर हमलों के विरोध में 25 से 31 जनवरी 2006 को विरोधी सप्ताह में भाग लेने का निर्णय लिया।

देश की सभी राज्य राजधानियों में 18 अप्रैल को आईसीडीएस को इंस्टीट्युश्नलाइज़ करने, आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिकाओं को नियमित करने तथा मानदेय में वृद्धि करने तथा नियमितिकरण आदि की मांगों पर विशाल रैलियाँ तथा प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।

आइफा कार्यकारिणी कमेटी ने संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समीप दस दिवसीय दिनरात की लगातार विशाल भूख हड़ताल करने का भी निर्णय लिया। भूख हड़ताल में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की जमायत प्रतिदिन 500 से कम नही होने का निर्णय लिया गया। पर्चों के वितरण, सामूहिक बैठकें इत्यादि द्वारा एक विशाल अभियान सभी राज्यों में आयोजित होगा तथा राज्य कमेटियों को तुरन्त तैयारियाँ करने के आदेश दिए गए है।

कार्यकारिणी कमेटी ने पुनः आइसीडीएस को मजबूत करने तथा सर्वव्यापी बनाने की मांग दोहराई। बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास में आईसीडीएस एक महत्वपूर्ण भूमिका है तथा महिलाओं की साधिकारिता में सहायता करता है। लाभार्थियों के संगठनों जैसे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, अखिल भारतीय खेतिहर मजदूर यूनियन तथा अखिल भारतीय किसान सभा को शामिल कर मांग पर अभियान को तेज करने का निर्णय लिया गया। सभी राज्य कमेटियों का इन संगठनों के साथ मुद्दे पर राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने की संभावनाएं बनाने आवाहन किया गया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड तथा मध्य प्रदेश में इन सम्मेलनो को पहले करने का निर्णय लिया गया। यह महसूस किया गया कि यह सभी सम्मेलन इस वर्ष के मई मास के अंत तक पूरे हो जाने चाहिए। राज्य विधान सभा के चुनावों को देखते हुए केरल तथा पश्चिम बंगाल की राज्य कमेटियां विचार करेंगी तथा उनकी सुविधानुसार निर्णय लेंगी।

हिन्दी भाषी राज्यों के कार्यकर्ताओं के लिए 24 से 28 अप्रैल 2006 को चंडीगढ़ में एक ट्रेड यूनियन कक्षा आयोजित होगी। इन कार्यशालाओं में लगभग 150 कार्यकर्ताओ के भाग लेने की आशा है। संगठन विषय पर 3 से 4 जून 2006 को पूना में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें पदाधिकारियों की एक बैठक तथा कार्यकारिणी कमेटी की एक बैठक होगी। आइफा के कार्यकारिणी कमेटी के सदस्यों के साथ चुनिन्दा राज्यो के पदाधिकारी भी कोटे के अनुसार कार्यशाला में भाग लेंगें।

कार्यकारिणी कमेटी के सदस्यो ने आइफा की सदस्यता वर्ष 2006 में 3,44,00 से अधिक करने का निर्णय लिया। पदाधिकारियों के कार्य वितरण को भी सुनिश्चित किया गया।

कार्यकारिणी कमेटी ने पांचवे अधिवेशन के आवाहन को निम्न नारों के साथ स्वीकारा जोकि हमारे भविष्य के कार्यों का दिशा निर्देशन करते हैं–

- तीन 'स' पर ध्यान केंद्रित करो– संघर्ष, शिक्षा, संगठन
- अंग्रेजी में (4 Cs) का विकास करो– कॉन्शस (सचेतन), कमिट (प्रतिबद्ध), कैपेबल (सक्षम), कैडर (कार्यकर्ता)

□

आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका यूनियन का पांचवां अधिवेशन

आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका यूनियन का पांचवा अधिवेशन 17 से 19 दिसम्बर 2005, कुरनूल में हुआ। अधिवेशन स्थल का नाम शारदा नगर तथा मंच का नाम राजेश्वरी मंच रखा गया। सभी 25 जिलो से लगभग 260 प्रतिनिधियों ने राज्य के अधिवेशन में भाग लिया। एक रंगीन जुलूस व रैली जिसमें कुर्नूल की विभिन्न परियोजनाओं तथा पड़ोसी जिलों से हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया जोकि अधिवेशन के आरम्भ का चिन्ह थीं।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका फैडरेशन (आइफा) की महासचिव हेमलता द्वारा अधिवेशन का उद्घाटन हुआ। उन्होने आइफा के पांचवे अधिवेशन में लिए गए निर्णयो का वर्णन, आईसीडीएस को सर्वव्यापी बनाने तथा आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिकाओं को ग्रेड 3 तथा ग्रेड 4 के कर्मचारी के रूप में स्वीकष्त करने की मांग की। उन्होने प्रतिनिधियों को इस मांग पर लाभार्थियों तथा जनसाधारण के समर्थन के लिए जमायत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होने यूनियन के विस्तार व चकबंदी के लिए समर्थ, प्रतिबद्ध व सक्षम कार्यकर्ता के विकास के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होने सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरूद्ध ट्रेड यूनियन संघर्षों में जनता तथा आंगनवाड़ी कर्मचारियों की जमायत के लिए आवाहन किया। स्वागत कमेटी की अध्यक्ष निर्मला ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। यूनियन की अध्यक्ष एवं स्थानीय कोर्पोरेटर ललितम्मा के साथ प्रेसीडीयम तथा अन्य ने अधिवेशन की अध्यक्षता की। राज्य कमेटी की महासचिव रोजा ने कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट पर खुशी जताई गई कि पिछले अधिवेशन के बाद से यूनियन की सदस्यता दुगुनी से भी अधिक हो गई है तथा कार्य सभी परियोजनाओं के लगभग सभी जिलों फैला है। जैसा कि उन्होने स्वयं व्यंग्यात्मक रूप में नोट किया कि अच्छी योजना बनाकर तथा परियोजना कमेटी के कार्यों में सुधार लाकर सदस्यता को अधिक बढ़ाना संभव था। सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट पर बहस में भाग लेकर उसे एकमत होकर स्वीकारा।

अधिवेशन में **'आईसीडीएस के सर्वव्यापीकरण'**, **'जनता के साथ संबंध मजबूत बनाना'** तथा **'ट्रेड यूनियनों तथा जनतांत्रिक आंदोलनों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की भूमिका'**–तीनों विषयों पर आयोग बैठाकर गहन विचार किया गया। प्रतिनिधियों ने आयोग में विचार के तरीकों का स्वागत किया।

'आईसीडीएस को सर्वव्यापी तथा मजबूत बनाने' पर एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें सीटू राज्य कमेटी की उपाध्यक्ष पुण्यवती, कुर्नूल के एमएलए एम ए गफ्फूर तथा एडवा की राज्य कमेटी उपाध्यक्ष हयामावती ने भाग लिया तथा मांगों को समर्थन दिया। अधिवेशन में कार्य के घंटो में वर्षद्धि वापिस लेने की मांग पर संघर्ष, संसद पर मार्च तथा अखिल भारतीय अधिवेशन के निर्णयानुसार दिल्ली में लगातार विशाल भूख हड़ताल में बड़ी संख्या में भाग लेने का निर्णय लिया गया। ललितम्मा, रोजा तथा ज्योति पुनः एकमत होकर क्रमशः यूनियन के अध्यक्ष, महासचिव तथा कोषाध्यक्ष चुने गए।

22 जिलों से हज़ारों आंगनवाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने जिला मुख्यालय तक 20 फरवरी 2006 को कार्य के अतिरिक्त घंटों को बढ़ाने के आदेश की वापसी व मानदेय में वर्षद्धि की मांग पर मार्च किया जिसमें से श्रीकुलाम, हैदराबाद तथा अनन्तपुर जिलों से 2,000 को गिरफ्तार किया गया। यूनियन ने सरकार द्वारा घोषित पिछले वर्ष राज्य के बजट से अतिरिक्त कार्य के लिए थोड़े से भुगतान करने का विरोध किया। मुख्य मंत्री के कार्य के घंटे न बढ़ाने के वादे पर भी अफसरों ने अधिक समय तक कार्य करने का दबाव बनाया जिस पर यूनियन ने विरोध जताया। बहुत से जिलों में जिला कलैक्टरों ने इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखने तथा आंगनवाड़ी कर्मचारियों की स्थानीय समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस विशाल लामबंदी के साथ कुछ जिलों में यूनियन ने स्थानीय मांगों पर एक धरना आयोजित किया। पश्चिम गोदावरी जिला कलैक्टर जिसने सीआईटीयू के नेताओं के मांगपत्र स्वीकार नही किए तथा गिरफ्तार किए नेताओ को धमकाया, के इस व्यवहार की यूनियन ने निन्दा की। यूनियन ने 4,000 पर्चे छापकर निन्दा करते हुए मुख्य मंत्री से शिकायत की।

यूनियन द्वारा विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए दो ट्रेड यूनियन कक्षाएं भी आयोजित की गईं जिसमें 56 जिलों से 140 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया।

लखनऊ में धरना

सीटू के जिला स्तरीय नेताओं की एक बैठक आंगनवाड़ी के कार्यों की योजना गनाने के लिए 9 फरवरी 2006 को इलाहाबाद में हुई। राज्य कमेटी के महासचिव दौलत राम, फिरोज़ाबाद से नवल सिंह, मुरादाबाद से संजय नारंग, अलाहाबाद से मयंक खारे, अलिगढ़ से ओ पी शर्मा एवं सोनभद्र से आंगनवाड़ी यूनियन की नेता अनसूया सिंह ने बैठक में भाग लिया। केंद्र से आइफा की महासचिव के हेमलता ने बैठक में भाग लिया।

दौलतराम ने सूचित किया कि सीटू राज्य कमेटी में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की सोनभद्र जिला स्तरीय यूनियन को इसके संविधान में आवश्यक सुधार करके राज्य स्तरीय यूनियन बनाने का कार्य जल्दी किया जाएगा। झांसी की जिला यूनियन भी बनाई गई राज्य स्तरीय यूनियन के साथ कार्य कर सकेगी।

हेमलता ने आइफा की कार्यकारिणी कमेटी के निर्णयों का वर्णन किया। बैठक में 18 अप्रैल 2006 को लखनऊ में यू पी विधान सभा के प्रत्यक्ष राज्य स्तरीय धरना आयोजित करने का निर्णय लिया गया। धरने के पश्चात् एक सम्मेलन व एक राज्य स्तरीय प्रबंधक कमेटी गठित करने का भी निर्णय लिया गया।

सीटू के जिला नेताओं ने अपने जिलों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की बैठकों के संचालन करने एवं पड़ोसी राज्यों से भी संपर्क बनाने के प्रयत्न करने की जिम्मेदारियां ली। पांच जिलों में बैठकों की तिथियां भी निर्धारित की गईं।

इन सब के चलते 4 मार्च को मुरादाबाद की विभिन्न सीटू युनियनों के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसका संचालन संजय नारंग ने किया। मेडिकल प्रतिनिधि यूनियन, पीतल बर्तन कामगार यूनियन, शुगर फैक्टरी वर्कर यूनियन के नेताओं ने आंगनवाड़ी कर्मचारियो के लिए बैठक में भाग लिया। जे एम एस की नेता वीना गुप्ता, शहर की एक प्रसिद्ध वकील ज़ेड एम नक्वी तथा बिजनौर से नरेंद्र कुमार ने जिले में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संगठित करने के प्रयत्नों में हर प्रकार से आवश्यक सहायता करने का आश्वासन दिया।

16 अप्रैल को मोरादाबाद में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का एक जिला स्तरीय सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। आंगनवाड़ी यूनियन की एक कार्यकर्ता मिथलेश ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सम्मेलन में लामबंद करने की जिम्मेदारी ली।

(शेष पेज 9 पर)

आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की हरियाणा राज्य कन्वेंशन

आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की 22 जनवरी को शहीद जसवीर स्मारक भवन, रोहतक में राज्य स्तरीय कन्वेंशन आयोजित की गयी। इस कन्वेंशन में 10 जिलों के 30 ब्लॉक से 114 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें 80 आंगनवाड़ी वर्कर्स और 34 आंगनवाड़ी हेल्पर्स थीं। कन्वेंशन का मुख्य नारा "संघर्षों व कुर्बानियों से हासिल संगठन और एकता को मजबूत करो" था। कन्वेंशन को अखिल भारतीय फेडरेशन की महासचिव हेमलता, कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु, कर्मचारी महासंघ के महासचिव आर सी जग्गा ने संबोधित किया। कन्वेंशन की अध्यक्षता फरीदाबाद से देवेंद्र शर्मा, सिरसा से बोरो देवी, करनाल से नगीनी देवी, झज्जर से ओमवती, रोहतक से अनीता, भिवानी से कमलेश, पानीपत से संतोष रावल, जींद से शीला देवी, कैथल से कविता और फतेहाबाद से रमेश शर्मा के 10 सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने की और राज्य कमेटी की संयोजिका रत्नेश कुमारी ने संचालन किया।

कन्वेंशन का उद्घाटन अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स फेडरेशन की कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु ने किया। संधु ने अपने संबोधन में हरियाणा की पूर्व सचिव सरोज वशिष्ठ और उनकी छः वर्षीय पुत्री विशाखा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। ध्यान रहे कि सरोज वशिष्ठ सीटू राज्य कमेटी की सचिव थीं और हरियाणा में आंगनवाड़ी यूनियन को खड़ा करने और मजबूत करने में उनकी अग्रणी भूमिका रही। यूनियन और जनवादी आंदोलन में लगातार बढ़ती भूमिका के चलते सरोज वशिष्ठ और उनकी पुत्री विशाखा घरेलू हिंसा की शिकार बनीं। सिंधु ने अपने संबोधन में हरियाणा की यूनियन के पिछले दो साल के घटनाक्रम पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस प्रकार एक मजबूत यूनियन जनतांत्रिक कार्यप्रणाली से भटकने के कारण मुश्किलों में फंस जाती है और तब वह अपने सदस्यों और कार्यकर्ताओं की मुश्किलों व मांगों पर आंदोलन करने की बजाय नेताओं में गुटबंदी, व्यक्तिवादी कार्यप्रणाली और आरोप-प्रत्यारोप में उलझकर रह जाती है। उन्होंने हरियाणा का ठोस उदाहरण देते हुए बताया कि पूर्व में यूनियन ने सरकार द्वारा किए गए सभी प्रकार के हमलों का मुकाबला किया था, परंतु पिछले 2 वर्षों में यूनियन और ज्यादा मजबूत होने के बजाय ठहराव और बिखराव की जा रही थी। इसी कारण अनेकों प्रकार की दिक्कतों के बावजूद कोई सशक्त आंदोलन नहीं किया जा सका। इस घटनाक्रम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण क्रमश: यूनियन की पूर्व अध्यक्ष और महासचिव पुष्पा दलाल और जगमति मलिक की व्यक्तिवादी कार्यप्रणाली रही है; अपने ही सहयोगी साथियों के चरित्र हनन की कुचेष्टा, राज्य कमेटी निर्णयों को लागू न करना व यूनियन के संविधान का उल्लंघन करना आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में राज्य व अखिल भारतीय फेडरेशन के स्तर पर लगातार प्रयास किए गए कि उन साथियों की कार्यप्रणाली में सुधार हो जाए। यहां तक कि फेडरेशन के सांगठनिक मामलों की छानबीन के लिए अखिल भारतीय अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा के नेतृत्व में एक कमीशन गठित किया गया, जांच के बाद पाया गया कि दोनो नेताओं ने यूनियन को स्वतंत्र रूप से चलाने और कार्यकर्ताओं को गुमराह करने के प्रयास किए। यूनियन का राज्य सम्मेलन जो सितंबर 2005 में हो जाना चाहिए था, वह भी नहीं करवाया। उनकी इस कार्यप्रणाली के चलते इन नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी। उन्हें यूनियन की प्राथमिक सदस्यता से निकालना पड़ा और पुरानी राज्य कमेटी को भंग करके नई सांगठनिक कमेटी गठित की गयी। इन्हीं निर्णयों की पुष्टि और आगामी सांगठनिक व आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए यह कन्वेंशन की गयी। सिंध ने कहा कि आने वाले दिनों में यूनियन पुनः हरियाणा की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की आवाज बनेगी तथा मजबूत आंदोलन का निर्माण करेगी। गौरतलब है कि आंगनवाड़ी की हरियाणा की यूनियन, अखिल भारतीय फेडरेशन के अलावा सीटू एवं सर्वकर्मचारी संघ, हरियाणा से भी संबद्ध है।

हरियाणा सीटू के राज्य सचिव सतवीर सिंह ने सरोज वशिष्ठ की कुर्बानी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने किन्हीं 2 या 4 नेताओं की जेबी यूनियन बनाने के लिए कुर्बानी नहीं दी बल्कि उनकी कुर्बानी हरियाणा की पिछड़ी मानसिकता वाले समाज में आंगनवाड़ी कर्मियों के मान-सम्मान की रक्षा, उनके काम करने के लिए बेहतर माहौल और सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए मजबूत आंदोलन का निर्माण करने के लिए है। सतवीर ने कहा कि हरियाणा के समाज में महिलाओं का खुलकर यूनियन में काम करना अभी भी काफी मुश्किल है। उन्हें पारिवारिक विरोध के साथ-साथ समाज की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में नेतृत्वकारी महिला साथियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना दु:खद होता है, परंतु संगठन के व्यापक हितों को देखते हुए यह कई बार मजबूरन करना पड़ता है। सतवीर ने आंगनवाड़ी हेल्पर्स की समस्याओं का उल्लेख करते हुए उन्हें संगठन में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का आह्वान किया। उन्होंने गरीब आबादी के लिए समेकित बाल विकास परियोजना की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए लाभार्थियों से और नजदीकी तालमेल बनाने व अपना कार्य पूरी लगन और निष्ठा से करते हुए संगठन को मजबूत करने की अपील की और इस प्रयास में सीटू के हर सहयोग का आश्वासन दिया।

राज्य संयोजिका रत्नेश कुमारी ने पुरानी कमेटी भंग करने, तीन पूर्व नेताओं— जगमति मलिक, पुष्पा दलाल और विमला जैन को यूनियन की प्राथमिक सदस्यता से निकालने और वर्ष 2006 में फरवरी-मार्च में सदस्यता अभियान चलाने, अप्रैल-मई में सर्कल, ब्लॉक व जिला सम्मेलन करते हुए जुलाई में राज्य सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। भावी आंदोलन के तहत मार्च महीने में जिला स्तर पर धरने-प्रदर्शन करने और 18 अप्रैल को रोहतक में राज्यस्तरीय रैली करने व अखिल भारतीय आंदोलन के तहत संसद के मॉनसून सत्र में संसद भवन पर 10 दिनों का पड़ाव और 24-24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल का भी प्रस्ताव रखा। प्रस्तावों पर हर जिले से एक-एक प्रतिनिधि ने बोलते हुए आंदोलन को पूरी तरह सफल बनाने और संगठन को मजबूत करने का आश्वासन दिया व प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया। दोनो ही प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस आंदोलन के लिए मांगों में बाल विकास परियोजना को सरकारी विभाग बनाकर आंगनवाड़ी वर्कर को तृतीय श्रेणी और हेल्पर को चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी घोषित करने, सरकारी कर्मचारी घोषित होने तक वर्कर को 3000 रु0 और हेल्पर को 2000 रु0 मासिक मानदेय देने, मानदेय को मंहगाई के साथ जोड़ने व वार्षिक बढ़ोतरी लागू करने, पी एफ, पेंशन, ई एस आइ की सुविधा देने, गर्मी की छुट्टियां व मेडिकल अवकाश प्रदान करने, अतिरिक्त काम का अतिरिक्त मानदेय देने, विधवा पेंशन बहाल करने, मीटिंगों में जाने का टी ए / डी ए देने और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार देश की सभी बस्तियों में आंगनवाड़ी खोलने, यौन शोषण विरोधी कमेटियां गठित करने व पूरक पोषाहार में भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर उसकी गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाना आदि मुख्य है।

सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव आर सी जग्गा ने यूनियन के पूरे

(शेष पेज 9 पर)

अन्तर्राष्ट्रीय कामकाजी महिला दिवस

कामकाजी महिलाओं के संघर्ष को और तेज करो!

☐ के. हेमलता

शकुंतला वर्मा। वह मध्य प्रदेश में इंदौर के निकटवर्ती एक गांव में आइसीडीएस निरीक्षक है। पिछले वर्ष अपराधी तत्वों ने उसके दोनों हाथ काट डाले थे। यह उस समय की बात है जब वह एक बाल विवाह को रुकवाने के लिये वहां गई थी। उत्तर प्रदेश में रहने वाली वंदना एक स्कूल की छात्रा है; वह इन दिनों स्वास्थ्य लाभ कर रही है; उस पर छूरे से कई वार किये गए थे; उसके शरीर पर 17 घाव हुए थे; उसका सामूहिक बलात्कार करने और बाद में उसकी हत्या कर देने का यत्न किया गया था जिसका उसने बहादुरी से मुकाबिला किया।

साहिबा खातून बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले के गांग सरैया चेनापट्टी की रहने वाली है; वह पंचायत की निर्वाचित सदस्या है। उसके गांव में उच्च जाति से सम्बन्ध रखने वाले चार लोगों ने पहले उसे घर से उठवा लिया; उसके साथ छेड़खानी की गई और बाद में उसके चेहरे पर कालि[illegible] पोत दी। उन्होंने उसे निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया और उस पर एक विवाह को तोड़ने का आरोप लगाया।

राजस्थान में एक आंगनवाड़ी महिला को कुछ महीने पहले उसी के विभाग में काम करने वाले सुपरवाईजरों ने जबरदस्ती पकड़ लिया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस घटना से भंवरी देवी के सामूहिक बलात्कार की एक घटना की याद ताजा हो जाती है; उसके साथ लगभग एक दशक पूर्व कुछ लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था।

यदि हम महिलाओं पर होने वाले इन हमलों, सामूहिक बलात्कार, हत्या के यत्न तथा दूसरे ऐसे हमलों पर विचार करें तो हमें पता चल जाएगा कि इस तरह की घटनाएं गरीब महिलाओं के साथ होती हैं; अथवा वे महिलाएं जो पिछड़े हुए हिन्दी भाषी राज्यों में रहती हैं। किन्तु बंगलौर एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी ह्यूलट पैकर्ड के काल सेंटर की कर्मचारी प्रतिभा जो उच्च शिक्षा प्राप्त थी, के बेरहम सामूहिक बलात्कार तथा बाद में हत्या कर दिये जाने की घटना से पता चलता है कि हम इस मामले में गलत हैं।

ये कुछेक उदाहरणें हैं। इनसे हमें उन स्थितियों का ज्ञान होता है जिनमें रह कर हमारे देश की महिलाएं काम करती हैं और जीने का प्रयास करती हैं। किन्तु बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती।

इनमें उन एक करोड़ बालिकाओं को भी जोड़ लीजिए जिन्हें जन्म ही नहीं लेने दिया जाता। कारण, बहुत साफ है! क्योंकि वे लड़कियां होती हैं; लाखों बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है; उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान नहीं की जातीं; उन्हें दिन में एक बार भी खाना उपलब्ध नहीं कराया जाता क्योंकि सरकार ने सभी नागरिकों को ये बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। उनके माता–पिता इस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपने लिये लड़के अथवा लड़की में से एक का चुनाव करना होता है; क्योंकि हमारे यहां सामंतवादी युग की परम्पराएं हैं इसलिये लोग लड़के को अधिमान देते हैं।

इसमें उन सैंकड़ों हजारों औरतों की संख्या को भी जोड़ लीजिये जिन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जातीं। उन्हें शौच के लिये गांव के बाहर खेतों में जाना होता है और इसके लिये वे सामंतों की दया पर निर्भर करती हैं। दूसरी जैविक जरूरतों को पूरा करने की बात तो उनके लिये भयावह सपने के समान होती है। उन्हें हर समय बलात्कार, शारीरिक उत्पीड़न तथा अपमान का जोखिम मोल लेना पड़ता है। एक मुख्य मंत्री को अपने राज्य की महिलाओं के लिये ये बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने पर लज्जा का अनुभव नहीं होता बल्कि वह इन मामलों में भी धर्म का कार्ड खेलता है। दलित महिलाएं जन प्रतिनिधि बन जाने पर भी अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर सकतीं क्योंकि गांव के जागीरदार उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। उच्च जातियों के निहित स्वार्थ भी उनके आड़े आते हैं। उन्हें मानव नहीं समझा जाता; वे तो केवल खेत–खलिहानों में काम करने वाला पुर्जा होती हैं; उनका काम गांव के अमीर लोगों की काम इच्छाओं का तृप्त करना होता है। और इन महिलाओं को भद्दी गालियां देकर हर रोज उनकी हत्याएं की जाती हैं।

उन हजारों महिलाओं के बारे में सोचिए जिन्हें परेशान किया जाता है; जिनका उत्पीड़न होता है; जिनका लेन–देन किया जाता है और दहेज के नाम पर जिन्हें जिंदा जला दिया जाता है। धन और सम्पत्ति के भौंडे प्रदर्शन के चलते दहेज की मांग लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। यह उपभोक्तावाद की वही संस्कृति है जिसे भूमण्डलीयकरण के इस युग में मीडिया तथा नैगम घराने प्रोत्साहन दे रहे हैं। उन दसियों लाख महिलाओं की कल्पना कीजिये जो निरक्षर होती हैं; कुपोषण का शिकार होती हैं; उनमें रक्त की कमी होती है; जो बच्चे को जन्म देते समय असमय काल का ग्रास बन जाती हैं; मानव विकास से जुड़े विभिन्न विभागों में इसके आंकड़े मिल जाएंगे।

उन लाखों कामकाजी महिलाओं की संख्या भी इसमें जोड़ दीजिए जो अत्यंत अल्प पारिश्रमिक पाने की गर्ज से दिन रात काम करने पर मजबूर होती हैं। केवल इसलिये कि उनके परिवार को कम से कम एक जून का खाना नसीब हो जाए; वे आधा पेट खाना खाती हैं पर अपनी परवाह नहीं करतीं। वे शक्तिहीन होती हैं; इस बात से अनजान होती हैं कि उनके दिल के टुकड़े को खाने का एक और कौर मिला है या नहीं। उन जन जातीय महिलाओं के बारे में सोचिए जो सुबह उठती हैं; पहाड़ से नीचे आकर जंगल में होती हुई काम की तलाश करती हैं ताकि वे किसी न किसी तरह जीवित रह सकें! हमारे देश में महिलाओं की असल स्थिति क्या है; इसकी पूरी तस्वीर आपकी आंखों के सामने आ गई है। अन्तर्राष्ट्रीय कामकाजी महिला दिवस के अवसर पर हम आपको इसका स्मरण कराना चाहते हैं।

हमारे यहां कल्पना चावला जैसी महिलाएं भी हैं, इसमें संदेह नहीं जिसने अंतरिक्ष में जाकर नये कीर्तिमान स्थापित किये थे; हमारे यहां बुलू चौधरी भी हैं जिसने महासागरों को तैर कर पार किया था; हमारे यहां बचिंदरी पाल जैसी

महिलाएं भी हैं जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाईयों को छुआ था। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस निश्चित तौर पर एक ऐसा दिवस है जब इन उपलब्धियों को याद किया जाना चाहिए; उनकी खुशी मनाई जानी चाहिए। किन्तु लाखों करोड़ों गरीब और साधारण परिवारों की महिलाओं के बारे में क्या कहें जिन्हें जीवित रहने के लिये भीषण संघर्ष करना पड़ता है। वे अपने परिजनों का पोषण करने के लिये पूरा जीवन हाथ–पांव मारती रह जाती हैं। ये महिलाएं कहीं दिखाई नहीं देतीं। इस अवसर पर हम इनका स्मरण भी करना चाहेंगे।

यह एक अवसर भी है; हम अपने दृढ़ निश्चय को फिर से व्यक्त करें कि हम कामकाजी महिलाओं तथा किसान महिलाओं के अधिकारों के लिये संघर्ष करते रहेंगे। हम महिला मुक्ति के संघर्ष के लिये खुद को फिर से समर्पित करें और हमें पूरी तन देही के साथ समाज की शोषण से मुक्ति के लिये संघर्ष करें; आज यह प्रतिज्ञा हमें फिर से करनी होगी।

आज से एक सौ पचास वर्ष पूर्व उत्तर अमरीका की महिलाओं ने संघर्ष शुरू किया था; 8 मार्च, 1857 को न्यूयार्क में वस्त्र उद्योग में काम करने वाली महिलाओं ने दस घण्टों के कामकाजी दिवस की अपनी मांग के लिये जुलूस निकाला था और धरना दिया था; उन्होंने महिलाओं के लिये समान अधिकारों की मांग की थी; उन्होंने कामकाजी स्थितियों में सुधार लाने की मांग भी की थी पर बदले में उन्हें क्या मिला? उन पर पुलिस हमला कराया गया। हम उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का प्रण फिर दोहराते हैं; इस संघर्ष को 8 मार्च, 1908 को गति मिली थी जब न्यूयार्क में सूई उद्योग में काम करने वाली महिलाओं ने फिर जुलूस निकाला; उनकी मांग थी कि उन्हें वोट का अधिकार दिया जाए; स्वीटशाप्स समाप्त की जाएं और बाल मजदूरी पर रोक लगाई जाए; उन पर पुलिस हमला कराया गया था।

जर्मन की एक कम्युनिस्ट नेत्री क्लारा ज़ेटकिन की ओर से इस संघर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया जब वर्ष 1910 में समाजवादी महिलाओं के दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाया था और प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। सम्मेलन ने फैसला किया था कि प्रत्येक देश में प्रति वर्ष एक ही दिन इस नारे 'महिलाओं के लिये वोट का अधिकार समाजवाद के लिये हमारे संघर्ष को मजबूती प्रदान करेगा' के अन्तर्गत 'महिला दिवस' मनाया जाए। आठ मार्च का दिन न केवल महिलाओं के लिये अपितु पूरी दुनिया के श्रमिक वर्ग के लिये एक ऐतिहासिक एवं यादगारी दिवस बन गया है क्योंकि इसी दिन फरवरी 1917 में रूस में क्रांति शुरू हुई थी। उस समय पीटरबुर्ग की कपड़ा मिलों में काम करने वाली महिलाओं ने जार का विरोध करने और हड़ताल करने का फैसला किया था।

इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आईए हम श्रमिक वर्ग पर हो रहे हमलों के खिलाफ चलने वाले संघर्ष को और फैलाने और उसे मजबूत बनाने का प्रण करें। कामकाजी महिलाओं के खिलाफ पूर्वतः बढ़ते चले जा रहे हमलों का हम आगे बढ़ कर प्रतिकार करें; हम साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण की चुनौतियों का प्रभावशाली ढंग से सामना करें जिसके चलते कामकाजी महिलाओं के कंधों पर काम और आर्थिक मुसीबतों का असहनीय बोझ लादा जा रहा है। हम इस ऐतिहासिक काम को पूरा करने के लिए अपने पुरुष भाईयों के कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करें और सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करें; इस संघर्ष को आगे बढ़ा कर ही सभी प्रकार के उत्पीड़नों से महिलाओं की मुक्ति सम्भव हो सकती है। ❑

(पेज 7 का शेष)

आंदोलन को पहले की तरह हर संभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि संघ ने भी महिला कर्मियों की समस्याओं को जोरदार ढंग से उठाने का निर्णय लिया है और इसी के तहत 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी जिलों के आयुक्त कार्यालयों पर महिलाओं की विशेष मांगों को लेकर धरने आयोजित करेगा।

अखिल भारतीय फेडरेशन की महासचिव हेमलता ने पूरे देश में आंगनवाड़ी आंदोलन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि 18 अप्रैल को सभी राज्यों में रैलियां की जाएंगी और मॉनसून सत्र में संसद में क्रमिक भूख हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि कन्वेंशन में आई हुई प्रतिनिधियों के हौसले से यह विश्वास मिलता है कि यूनियन को लगे धक्के से हम जल्द ही उबर जाएंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी और सफल परियोजना होते हुए भी पिछले 30 साल से न तो इसका पूरा विस्तार हुआ और न ही इसे स्थायी विभाग बनाया गया है। उन्होंने प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि सर्कल, ब्लॉक व जिला स्तर पर मजबूत तथा सक्रिय कमेटियों का गठन करें और पूरी सांगठनिक कार्यप्रणाली लागू करते हुए कार्यकर्ताओं को विकसित करें। उन्होंने कहा कि सीटू सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है और हम हरियाणा में आंगनवाड़ी यूनियन को इसी मूलभूत सिद्धांत के आधार पर मजबूत करेंगे व सरकार को भी अपनी ताकत व एकता के दम पर मांगें मानने पर मजबूर कर देंगें। ❑

(पेज 6 का शेष)

पटना में विशाल रैली

बिहार की आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका यूनियन की राज्य प्रबन्धक कमेटी की एक बैठक 5 मार्च को सीटू दफ्तर, पटना में हुई। भागलपुर, बेगुसराय एवं मुजफ्फरपुर से प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

बैठक में पुनः फरवरी सम्मेलन के निर्णयों के पालन की समीक्षा की गई। प्रबंधक कमेटी की संयोजिका आशा देवी ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि बहुत सी परियोजनाओं तथा क्षेत्रिय स्तर की बैठकें बेगुसराय तथा भागलपुर जिले में हुईं और वहाँ आंगनवाड़ी कर्मचारियों का प्रभाव बहुत अच्छा रहा।

आयोजक कमेटी ने मांगें तैयार कीं, जिसमें बहुत सी राज्य स्तरीय मांगें जैसे आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण एवं नियमितिकरण, आंगनवाड़ी सेविकाओ को ग्रेड 3 व सहायिकाओं को ग्रेड 4 के कर्मचारियों के रूप में नियमितिकरण तथा इसके लम्बित रहते हुए 3000रू तथा 2000रू के मानदेय का भुगतान करने की मांगें भी शामिल थीं।

यूनियन ने सख्ती से मांग की कि आईसीडीएस के विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले भ्रष्टाचारों पर तुरन्त रोक लगाई जाए। पंचायत का मुखिया, अध्यक्ष तथा कमेटी के सदस्य, सुपरवाइज़र एवं सीडीपीओ तक बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण उपलब्ध कराने वाले धन में हिस्से की मांग करते हैं। परिणामस्वरूप लाभार्थियों को बहुत ही कम लाभ मिल पाते हैं।

यूनियन ने यह भी मांग की कि आइसीडीएस को पंचायतों के अन्तर्गत करने से हटाने की भी मांग की। प्रतिनिधि मंडल के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री से बैठक करने और राज्य में आंगनवाड़ी कर्मचारियों में मांगों को मशहूर करने, पर्चे एवं पोस्टर छापने, आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच अभियान चलाने एवं 18 अप्रैल को पटना में विशाल प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। ❑

पंजाब

27 से 28 जनवरी 2006 को चंडीगढ़ में आंगनवाड़ी मुलाज़िम यूनियन, पंजाब के राज्य कमेटी सदस्यों तथा चुने हुए कार्यकर्ताओं के लिए एक राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन कक्षा आयोजित की गई। 10 जिलों से 32 कार्यकर्ताओं ने कक्षा में भाग लिया जिसमें आंगनवाड़ी मुलाज़िम यूनियन, पंजाब की अध्यक्षा हरगोबिंद कौर ने प्रधानाचार्या की भूमिका निभाई।

सीटू की पंजाब राज्य कमेटी के अध्यक्ष बलवंत सिंह ने कक्षा का उदघाटन किया तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार व्यक्त किए। उन्होने विस्तार से साम्राज्यवाद के घातक परिणाम तथा किस प्रकार यूपीए सरकार केंद्र से साम्राज्यवादी दबाव बना रही है, का वर्णन किया। उन्होने कहा कि कामकाजी वर्ग तथा कामकाजी वर्ग का एक हिस्सा आंगनवाड़ी कर्मचारियों को साम्राज्यवादी हमलों के विरूद्ध एवं देश के आत्मविश्वास व शासन की सुरक्षा में संघर्षों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है।

सीटू की पंजाब राज्य कमेटी के महासचिव रघुनाथ सिंह ने समाज को समझने की वैज्ञानिक विधि के महत्व तथा कामकाजी वर्ग एवं समाज में महिलाओं की भूमिका का वर्णन किया। उन्होने आंगनवाड़ी कर्मचारियों व कामकाजी वर्ग की एकता में मजबूती के महत्व के बारे में भी बताया।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका यूनियन (आइफा) की महासचिव **हेमलता** ने कैडर विकास की आवश्यकता तथा संगठन के नियमों का वर्णन किया। उन्होने पांचवे अधिवेशन के आवाहन पर संघर्ष, शिक्षा, संगठन तथा समर्थ, सक्षम एवं प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के विकास के लिए कार्य की ओर ध्यान दिलाया।

भागीदारों ने आइफा के 24 से 28 अप्रैल 2006 को चंडीगढ़ में हिन्दी भाषी राज्यों के कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेड यूनियन कक्षा के आयोजन के निर्णय का स्वागत किया तथा कक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने का निर्णय लिया। ❑

ग्वालियर जिला अधिवेशन

समय पर वेतन का भुगतान न होना, किराए या टीए/डीए का भुगतान न होना, हर प्रकार का अतिरिक्त कार्य तथा दफ्तर एवं पंचायत सदस्यों द्वारा उत्पीड़न–यहाँ भी आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं की वही कथा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में यूनियन के तीसरे अधिवेशन में तीन सौ से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया।

अधिवेशन 28 जनवरी 2006 को ग्वालियर के एतिहासिक टाऊन हॉल में हुआ जो कि राजाओं के थिएटर के लिए प्रयोग किया जाता था। आइफा की कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु ने अधिवेशन का उदघाटन किया। उन्होने फैडरेशन द्वारा किए जाने वाले भविष्य के कार्यक्रमों तथा हिन्दी राज्यों में संगठन को मजबूत बनाने की आवश्यकता का वर्णन किया। मध्य प्रदेश राज्य यूनियन महासचिव किशोरी वर्मा ने बताया कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के एमपी आंगनवाड़ी कर्मचारियों से काम करवाते है तथा किस प्रकार ट्रेड यूनियन आंदोलनों की वापसी के लिए लगातार दबाव बना रही है। उन्होने इन नीतियों के विरूद्ध तथा आईसीडीएस की मांग पर महिलाओं से 18 अप्रैल को भोपाल में बड़ी संख्या में जमा होने का आवाहन किया। एडवा की राज्य कमेटी की महासचिव संध्या शैली तथा सीटू के जिला सचिव ने भी अधिवेशन को संबोधित किया। अधिवेशन में अनीता वाजपेयी, मनोज शर्मा एवं कमलेश का कमशः अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष एवं महासचिव के रूप में तथा जिला कमेटी के 21 सदस्यों का चुनाव किया गया। अधिवेशन में वेतन के नियमित भुगतान, टीए, डीए, किराए की मांग तथा दफ्तर एवं पंचायत सदस्यों आदि द्वारा उत्पीड़न को रोकने के लिए डीसी को एक ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। अधिवेशन में यह भी निर्णय लिया गया कि सप्ताह में दो बार जिला पदाधिकारी सीटू जिला दफ्तर में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए उपस्थित रहेंगें। ❑

सीकर में धरना

राजस्थान की आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका यूनियन की सीकर जिला कमेटी द्वारा 28 फरवरी 2006 को आईसीडीएस को नियमित करने की मांग एवं स्थानीय मांगें जैसे अच्छे भोजन की नियमित सप्लाई, मानदेय, किराया इत्यादी का नियमित भुगतान आदी, पर ज़ोर डालने के लिए एक धरना आयोजित किया गया। चार परियोजनाओं से तीन सौ से अधिक आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने धरने में भाग लिया। धरने से कुछ दिनों पूर्व ही स्थानीय समाचार पत्र में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के कार्यों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्टर ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के कार्यों का वर्णन करने के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया । उसकी रिपोर्ट में आंगनवाड़ी कर्मचारियो के चरित्र पर हमला किया गया है।

यूनियन की जिला सचिव सत्यवती कुड़ी ने जमायत का स्वागत किया तथा जिले की स्थिति का वर्णन किया। उन्होने अधिकारियों को चेताया कि वे आंगनवाड़ी कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करें तथा उस रिपोर्टर के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की जिसने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए अपशब्दों का उपयोग किया। आइफा की कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु ने वर्णन किया की किस प्रकार सरकारी नीतियां आईसीडीएस को प्रभावित करतीं हैं। उन्होनें पूछा कि जब आंगनवाड़ी कर्मचारी शिवरात्रि जैसे त्योहार पर भी कार्य करने को कहा जाता है, तब हिन्दुत्व फोर्सों को जोकि प्रत्येक धार्मिक मुद्दे का राजनीति में समावेश कर देते हैं, कोई परेशानी क्यों नही होती ? उन्होनें कर्मचारियों से उनकी मांगों को प्राप्त करने एवं सरकार की नीतियों से लड़ने के लिए संगठन को मजबूत बनाने का आवाहन किया। सीटू के जिला सचिव हज़ारी लाल शर्मा जिन्होने धरने का संबोधन किया, ने कर्मचारियों का अपनी हाल की मांगों पर संघर्ष करने के लिए आवाहन किया। उन्होने रिपोर्टर तथा अधिकारियों को रिपोर्टर के माफी नही मांगने पर गम्भीर परिणामों के बारे में चेताया। एडवा की जिला सचिव तारा दयाल ने भी भीड़ को संबोधित किया। उन्होने उनकी मांगों पर अपना समर्थन जताया तथा उस रिपोर्टर को सज़ा देने की मांग की।

जिला कलैक्टर से एक प्रतिनिधि मंडल मिला व एक मांगपत्र सौंपा। कलैक्टर ने प्रतिनिधि मंडल को विश्वास दिलाया कि कुछ मांगें जैसे अफसरों द्वारा उत्पीड़न को रोकने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाऐंगे तथा यह भी विश्वास दिलाया कि संबंधित रिपोर्टर के खिलाफ भी एक सप्ताह के भीतर कदम उठाए जाऐंगे। धरने का समापन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस रैली को सफल बनाने एवं कलैक्टर द्वारा दिए गए आश्वासनों के पूरा न होने पर इसे धरना रैली बनाने निर्णय के साथ हुआ। ❑

उत्तरांचल

उत्तरांचल राज्य आंगनवाड़ी यूनियन (सीटू) द्वारा अतिरिक्त कार्य के लिए के लिए अतिरिक्त वेतन की मांग पर किए गए लम्बे संघर्ष के पश्चात् **उत्तरांचल सरकार ने जनवरी 2006 से आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाकर 1500 रू तथा 750 रू प्रतिमाह देने का एक आदेष जारी किया।**

यूनियन ने सन् 2003 से लगातार मानदेय में वर्षद्धि के लिए संघर्ष जारी रखा। विभिन्न मंत्रियों के वादों के तहत कुछ भी नही किया गया। पूर्व दो वर्षों में देहरादून में यूनियन ने पांच राज्यों में जमायत की। अंततः मुख्य मंत्री ने हरिद्वार में सार्वजनिक बैठक में घोषणा की कि उनकी सरकार आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायिकाओं के मानदेय में 1500 रू तथा 750 रू की वर्षद्धि करेगी। परन्तु सरकार ने कुछ कदम नही उठाए। यूनियन ने सरकार से इस वादे के पालन करवाने के लिए बहुत से प्रदर्शन किए। सीटू राज्य महासचिव बिरेन्द्र भंडारी, मुख्य मंत्री से मिले तथा उन्हें उनके वादे के बारे में याद दिलाया। यूनियन तथा सीटू ने सरकार को एक लगातार संघर्ष की चेतावनी दी।

अंत में आदेश संख्या 3461/XVii/2005 दिनांक 30 दिसम्बर एवं संख्या सी–2591/मानदेय/2005–06 दिनांक 2 जनवरी 2006 में सरकार ने मानदेय में वर्षद्धि के लिए आदेश जारी किए।

यूनियन ने राज्य की आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए बधाई दी तथा लम्बे समय से की जा रही नियमितिकरण की मांग को पाने तक संघर्ष की राह पर बने रहने का आवाहन किया। यूनियन ने राज्य सरकार को बढ़े हुए मानदेय का भुगतान करने के लिए, दफ्तरो में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कहा तथा आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायिकाओं का गैर आवश्यक रूप से उत्पीड़न नही किए जाने, बढ़े हुए वेतन का घूसखोरों को भुगतान नही करना सुनिश्चित किया। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु की उपस्थिति में राज्य कमेटी यूनियन की एक बैठक 8 फरवरी को हुई जिसमें 23 –24 मार्च को पौडी में राज्य अधिवेशन करने का निर्णय लिया गया। ❑

चमोली

उत्तरांचल में पवित्र स्थान बद्रीनाथ से केवल दो घंटे की दूरी पर हिमालय की गोद में चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में 28 फरवरी 2006 को एक अलग प्रकार का जुलूस दिखाई दिया। आंगनवाड़ी सेविकाएं तथा सहायिकाएं अपनी मांगों पर जोर से नारे लगाकर सरकार को चेता रही थीं। वे उत्तरांचल की आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका यूनियन के तीसरे जिला अधिवेशन से संबंधित रैली में भाग ले रहीं थीं। उस पहाड़ी स्थान पर कोई यातायात के साधन उपलब्ध न होने पर भी वे जंगलों से होते हुए 20 किलोमीटर पैदल चलकर गोपेश्वर पहुँचीं।

अधिवेशन का उद्घाटन उत्तरांचल सीटू राज्य कमेटी के महासचिव बिरेन्द्र भंडारी ने किया। उन्होने आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को उनके संघर्षों एवं सेकिवकाओं के मानदेय में एक हजार पांच सौ रू तथा सहायिकाओं के मानदेय में सात सौ पचास रू की वर्षद्धि की उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी। उन्होने वर्णन किया कि किस प्रकार सीटू सरकार से आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मागें प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होने लगभग एक सौ प्रतिनिधियों का उपलब्धियो को पाने के लिए तैयारियों करने का आवाहन किया। किसान सभा के राज्य अध्यक्ष देवेन्द्र नौटियाल, सीटू जिला सचिव सुरेश नेगी ने भी अधिवेशन को संबोधित किया। आइफा कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु ने संगठन की मजबूती के महत्व एवं किस प्रकार सरकारी नीतियां आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा आम जनता को प्रभावित कर रहीं है, का वर्णन किया। उन्होने आईसीडीएस को सर्वव्यापी बनाने की मांग पर आइफा के अभियानों व संघर्षों के बारे में भी बताया। यूनियन की जिला सचिव मुन्नी पवार ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। पूर्व तीन वर्षों में यूनियन तीन से पांच परियोजनाओं में फैली है और सदस्यता भी 300 से बढ़कर लगभग 500 हो गई है।

12 प्रतिनिधियों ने बहस में भाग लिया। प्रतिनिधियों ने सामना की जाने वाली समस्याओं तथा संगठन की मजबूती की संभावनाओं के बारे में भी बोले। पंचायतों की ओर से आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं सामने आई तथा वे प्रतिनिधि जो स्वयं पंचायत प्रधान थे, ने इसका सामना करने के लिए कुछ अमूल्य सुझाव दिए।

अधिवेशन में एक इक्कीस सदस्यों की कमेटी गठित की गई, जिसमें मुन्नी पवार को महासचिव चुना गया। ❑

देहरादून

आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका यूनियन देहरादून का तीसरा जिला अधिवेशन 5 मार्च 2006 को देहरादून में हुआ। चार परियोजनाओं से लगभग एक सौ प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में भाग लिया। आइफा की कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु ने अधिवेशन का उद्घाटन किया। उन्होने डरा धमकाकर लाभों को प्रदान न करने जैसी राज्य तथा केंद्रिय सरकारों की नीतियों के बारे में प्रतिनिधियों को चेताया। यूनियन की राज्य उपाध्यक्ष एवं आइफा की कार्यकारिणी कमेटी की सदस्या कमला सती ने यूनियन की मजबूती के महत्व के बारे में बताया। सीटू राज्य महासचिव बिरेन्द्र भंडारी आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए सीटू के प्रयत्नो के बारे में बोले।

जिला सचिव सुषमा देवी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। दस प्रतिनिधियो ने बहस में भाग लिया। अधिवेशन में जिले में सामान्य जन में एवं देहरादून में अर्बन परियोजनाओं में भी यूनियन को मजबूत करने निर्णय लिया गया। यूनियन के महासचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष– सर्वेश्वरी खंदूरी, मीनू डोगरा, जानकी चौहान तथा मीनू गुलेरिया भी उपस्थित थे।

अधिवेशन में 15 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें सुषमा देवी को अध्यक्ष तथा प्रवीन को महासचिव चुना गया। ❑

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम की रिपोर्ट

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को सीटू के नेतृत्व में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों द्वारा मंडी प्रांगण परिसर धमतरी में एक सभा का आयोजन किया गया। जिसमें मंडी श्रमिक एकता यूनियन धमतरी गाड़ीवान-ठेलावान यूनियन धमतरी, छ.ग. लाल झंडा बीड़ी मजदूर एकता यूनियन धमतरी के करीबन 100 महिला एवं पुरुष साथी सम्मिलित हुए प्रारंभ में महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण, अत्याचार एवं उनके अधिकारों की मांगों को लेकर जोर-शोर से नारेबाजी की गई। सभा को छ.ग. लाल झंडा बीड़ी मजदूर एकता यूनियन की का० शांति कश्यप, मंडी श्रमिक एकता यूनियन के का. सेवकराम एवं का. जानकी टंडन तथा आर.डी.आई. छ.ग. धमतरी के इकाई सचिव का. तीरथ राम ध्रुव ने भी सम्बोधित किया। सभी वक्ताओं ने अपने उद्‌बोधन में यह कहा कि महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण, अत्याचार एवं दुर्व्यव्यवहार के खिलाफ महिलाओं को लगातार लामबंदी के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता है।

सभा को सम्बोधित करते हुए सीटू जिला समिति धमतरी की कोषाध्यक्षा एवं महिला संयोजन समिति की संयोजिका का. अंजना बाबर ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए, वर्तमान में हमारे देश एवं समाज में महिलाओं की स्थिति एवं उनके मूल कारणों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जन्म के पूर्व भ्रूण के लिंग की जांच एवं कन्या भ्रूणों के गर्भपात से हर वर्ष लगभग 5 लाख लड़कियाँ जन्म नहीं ले पाती हैं तथा महिलाओं के ऊपर दिन-प्रति-दिन बढ़ रहे उत्पीड़न, बलात्कार एवं घरेलू हिंसा के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केवल कानून बनाने मात्र से कुछ नहीं होता बल्कि उन्हें बलपूर्वक लागू करवाया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब दुनियाँ में समाजवाद मजबूत था तो नौकरी की सुरक्षा की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा का लाभ, स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ, पेंशन का लाभ आदि अधिकार प्राप्त थे किन्तु समाजवाद के कमजोर हो जाने से इन अधिकारों पर हमला कर उनसे वंचित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे दुनिया के पैमाने पर साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा दुनिया के बाजारों में कब्जा करने के लिये मेहनतकश जनता के ऊपर शोषण को तेज करने की कोशिशें जारी हैं—उदारीकरण के नाम पर नौकरी के अवसरों को कम करने सार्वजनिक उद्योगों को समाप्त करने और नौकरी की सुरक्षा को खत्म करने के द्वारा पूरी दुनिया में शोषण को तेज किया जा रहा है, सामाजिक सुरक्षा लाभ को वापस लेने की कोशिश की जा रही है—, स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ से वंचित किया जा रहा है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है—साम्प्रदायिकता के नाम पर दंगे फैलाये जा रहे हैं और इनका सीधा-सीधा प्रभाव महिलाओं पर पड़ रहा है। अतः महिलाओं को शोषण से मुक्त करने के लिये एकजुट संघर्ष की आवश्यकता है सभा की अध्यक्षता का० शांति कश्यप ने एवं संचालन और धन्यवाद ज्ञापन का० अंजना बाबर ने किया। ❑

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन

बी टी आर भवन, 13 ए, राउज एवेन्यू, नयी दिल्ली-110002

प्रैस विज्ञप्ति

1 मार्च, 2006

लाखों आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायिकाओं एवं आईसीडीएस के लाभार्थियों के लिए बजट 2006-07 बहुत ही निराशाजनक रहा है।

14 लाख से अधिक आईसीडीएस में कार्यरत निम्न स्तर से अहम भूमिका निभाने वाली सेविकाओं व सहायिकाओं के लाभार्थियों को न्याय उपलब्ध कराने में बजट नाकामयाब रहा है। वे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा दूसरे विभागों की विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रतिदिन 6 से 7 घंटे के लिए कार्य कर रहे हैं परन्तु उन्हे केवल 1000रू तथा 500रू का ही वेतन भुगतान किया जा रहा है। बजट में उनके वेतन में किसी वर्षद्धि या उनके स्तर को सुधारने की घोषणा नही की गई है।

यूपीए सरकार ने एनसीएमपी में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार आईसीडीएस को सर्वव्यापी बनाने एवं सभी रिहायशी स्थानों पर आंगनवाड़ी केंद्र चलाने का वादा किया। दो वर्ष बाद भी इस वादे को पूरा नही किया गया है। खेतिहर मजदूरों, गरीब किसानों, असंगठित क्षेत्र कर्मचारियों तथा महिलाओं के बहुत से संगठनों इत्यादी ने लाखों लाभार्थियों तथा आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए आईसीडीएस के सर्वव्यापीकरण तथा उसे नियमित करने की मांग इसलिए की ताकि इसकी सेवाएं हमारे देश के सभी बच्चों को स्थायी तौर पर मिल सकें। इस मांग को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया।

आईसीडीएस के सर्वव्यापीकरण तथा आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायिकाओं के स्तरो में सुधार लाने के लिए आवश्यक राशि की तुलना में आईसीडीएस के भाग मे हुई वर्षद्धि बहुत कम है।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन मांग करती है कि सरकार आईसीडीएस को सर्वव्यापी एवं नियमित करने के लिए तुरन्त कदम उठाए तथा सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने तक आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायिकाओं को 3000रू एवं 2000रू वेतन का भुगतान किया जाए। आइफा आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायिकाओं का पूर्व नियमितिकरण एवं उनके स्तर में सुधार लाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष तेज करने का आवाहन करती है।

जारीकर्त्ताः

के हेमलता

महासचिव

हमें यह सूचना देते हुए खेद है कि पांच राज्य विधान सभाओं में चुनाव से संबंधित विशेष परिस्थितियों के कारण हिन्दी भाषी राज्यों के कार्यकर्ताओं के लिए केन्द्रीय कक्षाएं स्थगित की गई हैं।

भविष्य में कार्यक्रमों के बारे में जल्दी ही सूचित किया जाएगा।

तमिलनाडु में कामकाजी महिलाओं की विशाल रैलियां

सीटू की तमिलनाडू राज्य कमेटी तथा तमिलनाडू राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति के निर्णयानुसार कामकाजी महिलाओं की विशाल रैलियाँ राज्य के पांच केंद्रों –चेन्नैई, मदुरै, तिरूची, तिरूपुर एवं नागरकोल में हुई। 3–4 पड़ोसी जिलों से भी कामकाजी महिलाओं ने रैलियों में भाग लिया। लगभग 12,000 महिला कार्यकर्ताओं एवं कर्मचारियों ने इन रैलियों में भाग लिया जोकि 13 मांगों पर आधारित थी तथा कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति द्वारा आयोजित की गई थी।

भविष्यनिधि, बैंक, विद्युत बोर्ड, राज्य सरकारी विभागों आदि में कार्यरत महिलाओं ने भवन निर्माण, हैंडलूम, मत्स्य, सिलाई, पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाने आदि कामगार महिलाओं के साथ रैली में भाग लिया। सीटू की राज्य कमेटी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि राज्य में कामकाजी महिलाओं की समस्याओं के लिए रैली की गई तथा जिसमें महिला कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। राज्य समन्वय समिति के संयोजक तथा सह– संयोजकों तथा सीटू राज्य सचिव मंडल के सदस्यों ने रैली में भाग लिया तथा रैली को संबोधित किया।

सीटू राज्य कमेटी के प्रयत्न तथा कामकाजी महिला समन्वय समिति के साथ कुछ संबंधित संगठनों जैसे अखिल भारतीय भविष्य निधि कर्मचारी संस्था, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी फैडरेशन, टेलिकाम कर्मचारी यूनियन तथा राज्य सरकार कर्मचारी संस्था इत्यादि ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन संगठनों के साथ कुछ सीटू से संबंधित यूनियनों जैसे विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन, भवन निर्माण मजदूर यूनियन इत्यादी ने उनकी महिला सदस्यों को बड़ी संख्या में रैली में भाग लेने की अपील करने के लिए अलग से पर्चे जारी किए। पूरे राज्य से एआईआईईए की 265 महिलाओं ने रैली में भाग लिया जोकि उनकी सामाजिक जागरूकता को दर्शाता है। बहुत से एआईआईईए नेताओं ने भी रैलियों में बैठकों को संबोधित किया जिसमें चेन्नई से **एन आनन्दसेलवी** तथा **भानुमति**, त्रिपुर से **एम गिरिजा** तथा नागरकोल से **आर एस चंपकम** शामिल थे।

कुछ संबंधित संगठनों ने शहर के विशाल क्षेत्रों में अपना समर्थन आर्थिक सहायता, शहर के बड़े केंद्रों में मांगों के विशाल झंडे दिखाकर तथा आने जाने की व्यवस्था कर जताया। दोपहर के भोजन के समय विभिन्न दफ्तरों में सामूहिक बैठकें हुई जोकि कामकाजी महिला समनवय समिति के सदस्यों द्वारा संबोधित की गई। सीटू }ारा हजारों पर्चे, हैंडबिल तथा पोस्टर छापे गए तथा पूरे राज्य में बांटे गए। चेन्नैई की एक गली के कोने में स्थित एक पीसीओ में कार्यरत महिला, मदुरैई में यातायात ड्यूटी की एक महिला पुलिस कांस्टेबल जैसी बहुत सी महिला कर्मचारियो ने स्वयं को हैंडबिलों की स्थिति के अनुरूप पाया तथा मांगों को समर्थन दिया।

चेन्नैई में मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों और विभिन्न मध्य वर्गीय संगठनों तथा फैक्ट्रीयों की चार हजार से भी अधिक महिलाएं व्यस्त मार्गों से होते हुए सरकारी अतिथिशाला के समक्ष एकत्रित हुई। जुलूस का नेतष्त्व **मालतीचित्तीबाबू** (कामकाजी महिला समन्वय समिति के संयोजक) तथा अन्यों ने किया। **ए सुन्दरराजन** (सीटू की तमिलनाडू राज्य कमेटी के महासचिव) तथा अन्य नेताओं ने रैली को संबोधित किया।

मदुरै में लगभग दो हजार महिलाओं ने उनकी यूनियनों के झंडों तले मार्च किया। सीटू तथा अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की सचिव **के हेमलता** तथा अन्य नेताओं जिनमें कामकाजी महिला समन्वय समिति की जिला संयोजिका मर्सी सुंदरम शामिल हैं, ने बैठकों का संबोधन किया।

नागरकोल में 3,500 महिलाओं ने रैली में भाग लिया। यहां भी भविष्यनिधि, बैंक, आंगनवाड़ी महिला कर्मचारियों ने जयललिता सरकार की मजदूर विरोधी तथा महिला विरोधी नीतियों के विरोध में नारे लगाकर विशाल जुलूस के रूप में मार्च किया। जुलूस, जिसका नेतष्त्व कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति की सह संयोजिका **इन्दिरा** द्वारा हुआ, का उदघाटन सीटू सचिव **ए के पद्मनाभन** द्वारा हुआ। सीटू राज्य कमेटी के अध्यक्ष **जे हेमचन्द्रन** ने जनसभा को संबोधित किया।

तिरूपुर के जुलूस में 2,000 से अधिक महिला कर्मचारियों ने भाग लिया जिसका नेतष्त्व राज्य की कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति की सह संयोजिका राजी ने किया। सीटू राज्य कमेटी के दोनों उपाध्यक्षों **वेल्लिगिरि** एवं **कामराज** तथा अन्य नेताओं ने सार्वजनिक बैठकों को संबोधित किया।

तमिलनाडू सरकारी कर्मचारी संस्था से **ललिता** तथा अन्य नेताओं ने **त्रिची** में प्रदर्शन में भाग लेने वाली हजारों महिला कर्मचारियों को संबोधित किया। सीटू राज्य कमेटी के महासचिव **आर सिंगारवेलू** ने जनसभा को संबोधित किया।

विश्वीकरण की नीतियों तथा उनके रोजगार सुरक्षा पर हमलों, कार्य तथा रहन सहन के स्तरों ने कामकाजी महिलाओं का बोझ बढ़ा दिया है। तमिलनाडु राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीटू) के आवाहन पर बड़ी संख्या में लामगंद होना महिला कर्मचारियों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की गम्भीरता दर्शाता है। यह उनके कामकाजी तथा रहनसहन के स्तरों के हमलों पर संघर्षों में भाग लेने की इच्छाओं का भी प्रदर्शन करती है। इससे यह स्पष्ट रूप से रेखकिंत होता है कि इस आंदोलन को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।

मांगें :–

1. महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार, नई भर्ती से पाबंदी हटाओ।

2. सभी नीजी क्षेत्रों की संस्थाओं, व्यापार केंद्रों जिनमें निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों की टैक्सटाइल दुकानें भी शामिल हैं, में महिला कार्यकर्ताओं के लिए उचित काम के घंटे निश्चित किए जाए।

3. कैजुअल, अस्थाई, देहाड़ी, कोन्सोलिडेट मजदूरी पर आधारित सभी कार्यकर्ताओं का नियमितिकरण किया जाए, जिसमें आईसीडीएस, नून मील स्कीम, स्थानीय प्रशासन सामाजिक कल्याण संस्थाएं भी शामिल है।

4. बाल मजदूरी तथा बंधुआ मजदूरी पर सभी कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए।

5. न्यूनतम वेतन कानून तथा समान कार्य के लिए समान वेतन कानून के पालन को सुनिश्चित किया जाए।

6. उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत कमेटियों का गठन किया जाए।

7. सभी कार्यकर्ताओं जिनमें असंगठित क्षेत्र भी शामिल हैं, को सामाजिक सुरक्षा लाभों जैसे पेंशन, भविष्य निधि, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं इत्यादी प्रदान की जाएं।

8. आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल इत्यादी के सिवाय

(पेज 16 पर)

नई दिल्ली में 22 फरवरी, 2006 को सम्पन्न सी पी आई (एम) की दलित अधिकार कन्वेंशन प्रस्ताव

दलितों की समस्याएं

भारतीय समाज हजारों वर्षों से घोर प्रतिक्रियावादी वर्ण तथा जाति व्यवस्था का शिकार रहा है। दुनिया भर में भारत ही ऐसा इकलौता देश है, जहां ऐसी व्यवस्था पैदा हुई है तथा अब भी बनी हुई है। वर्ण तथा जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म तथा वैदिक ग्रंथों का अनुमोदन हासिल रहा है और यह इस व्यवस्था की मजबूती का एक प्रमुख कारण रहा है। कुख्यात मनुस्मृति में तत्कालीन सामाजिक नियम-कायदों को संहिताबद्ध किया गया है और शूद्रों, अतिशूद्रों तथा महिलाओं के लिए, एक पूरी तरह से निचले दर्जे के तथा दयनीय अस्तित्व की व्यवस्था दी गयी है। जाति व्यवस्था की खासियत यह है कि यह वंशानुगत, अनिवार्य तथा वैवाहिक दायरा तय करने वाली होती है। जाति व्यवस्था तथा उसके सामाजिक उत्पीड़न की सबसे बुरी मार दलितों या अतिशूद्रों या अनुसूचित जातियों पर पड़ी है। कुछ भिन्न तरीके से सही, आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी युगों से सामाजिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। रामायण की शंबूक (वध) की तथा महाभारत की एकलव्य (का अंगूठा कटवाने) की कहानियां, प्राचीन भारत में हिंदू समाज की असमानतापूर्ण प्रकृति के शास्त्रीय प्रमाणों के रूप में हमारे सामने हैं।

आज के भारत में दलितों की स्थिति

2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के लोग भारत की कुल आबादी के 16.2 फीसद के बराबर हैं और उनकी कुल संख्या 17 करोड़ से ज्यादा है। अनुसूचित जनजाति के लोग देश की कुल आबादी के 8.2 फीसद के बराबर हैं और उनकी संख्या 8 करोड़ से ऊपर है। दोनों मिलकर भारत की आबादी के 24.4 फीसद हिस्से के बराबर बैठते हैं और उनकी आबादी कुल मिलाकर 25 करोड़ से ऊपर बैठती है।

देश के जिन छः राज्यों में अनुसूचित जाति की आबादी का अनुपात सबसे ज्यादा है, क्रमशः इस प्रकार हैं--पंजाब (28.9 फीसद), हिमाचल प्रदेश(24.7 फीसद), पश्चिम बंगाल(23.0 फीसद), उत्तर प्रदेश(21.1 फीसद), हरियाणा (19.3 फीसद) तथा तमिलनाडु (19.0 फीसद)। कुल आबादी के हिसाब से अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी संख्या वाले बारह राज्य इस प्रकार हैं--उत्तर प्रदेश (351.5 लाख), पश्चिम बंगाल (184.5 लाख), बिहार (130.5 लाख), आंध्र प्रदेश (123.4 लाख), तमिलनाडु (118.6 लाख), महाराष्ट्र (98.8 लाख), राजस्थान (96.9 लाख), मध्य प्रदेश(91.6 लाख), कर्नाटक (85.6 लाख), पंजाब (70.3 लाख), उड़ीसा (60.8 लाख) तथा हरियाणा (40.9 लाख)।

आरक्षणः केंद्र सरकार के पदों में 15 फीसद अनुसूचित जाति के लिए तथा 7.5 फीसद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहरहाल, अनुसूचित जातियों को ग्रुप ए की नौकरियों में 10.15 फीसद पदों पर ही भर्ती किया जा सका था, जबकि ग्रुप बी के पदों पर यही हिस्सा 12.67 था। ग्रुप सी के पदों पर यही हिस्सा 16.15 फीसद था और ग्रुप डी के पदों पर 21.26 फीसद। अनुसूचित जनजातियों के मामले में स्थिति और भी खराब थी और चारों ग्रुपों के लिए यह हिस्सा क्रमशः 2.89 फीसद, 2.68 फीसद, 5.69 फीसद तथा 6.48 फीसद ही था। उच्च न्यायालयों के 544 न्यायाधीशों में से, सिर्फ 13 अनुसूचित जाति से थे और सिर्फ 4 जनजाति से। देश भर में स्कूली शिक्षकों में सिर्फ 6.7 फीसद अनुसूचित जाति/ जनजाति से थे और विश्वविद्यालय शिक्षकों में यह हिस्सा सिर्फ 2.6 फीसद था।

जल-मल निकासीः अनुसूचित जाति के 11 फीसद तथा अनुसूचित जनजाति के 7 फीसद परिवारों को ही जल-मल निकासी की सुविधाएं हासिल थीं, जबकि इस मामले में राष्ट्रीय औसत 29 फीसद का है।

अत्याचार, अस्पृश्यता तथा भेदभावः 1981 से 2000 के बीच जिन 16 वर्षों के रिकार्ड उपलब्ध हैं, उनमें अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध व अत्याचार के कुल 3,57,945 मामले दर्ज किए गए थे। यानी हर साल औसतन 22,371 मामले अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध व अत्याचारों के दर्ज किए जा रहे थे। सन 2000 के लिए, अनुसूचित जातियों पर अत्याचार व हिंसा के इन मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है: हत्या के 486 प्रकरण, गंभीर रूप से घायल किए जाने के 3298 प्रकरण, आगजनी के 260 प्रकरण, बलात्कार के 1034 प्रकरण और अन्य अपराधों के 18,664 प्रकरण। छुआछूत का और सार्वजनिक कुंए-तालाबों, पानी के नलों, मंदिरों, चाय की दूकानों, रेस्टोरेंट, सामुदायिक स्नानागारों, सड़कों तथा अन्य सामाजिक सेवाओं के उपयोग के मामले में भेदभाव का अब भी बोलबाला है।

इन नीतियों का सबसे सत्यानाशी असर, उस गहरे कृषि संकट में देखा जा सकता है, जिसने हमारे देश के ग्रामीण इलाकों को अपनी जकड़ में ले रखा है। ग्रामीण रोजगार में भारी गिरावट आयी है और इसकी सबसे ज्यादा मार दलितों पर, आदिवासियों पर तथा महिलाओं पर पड़ रही है। खेती के मशीनीकरण ने समस्या को और उग्र बना दिया है। देश के अनेक राज्यों में खेत मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में गिरावट आयी है और जाहिर है कि उनमें बड़ा हिस्सा दलितों का है। जिन राज्यों में न्यूनतम मजदूरी कानून हैं भी, उनका पालन कराने की कोई कोशिश ही नहीं की गयी है और न्यूनतम मजदूरी में समय-समय पर होने वाले सुधार का भी कहीं अता-पता ही नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहस-नहस किए जाने से भूख ने बढ़कर चिंताजनक रूप ले लिया है। देश के अनेक राज्यों में हुई कुपोषण से जुड़ी हजारों बच्चों की मौतों में, सबसे बड़ा हिस्सा दलित व आदिवासी परिवारों के बच्चों की मौतों का ही है। इस तरह, इन नव-उदारवादी नीतियों ने देश में आर्थिक तथा सामाजिक, दोनों ही तरह के विभाजनों को और तीखा कर दिया है।

मांग पत्र

यह कन्वेंशन हमारे देश में करोड़ों दलितों के लिए एक बेहतर जिंदगी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मांगपत्र पेश करती है और दलितों का आह्वान करती है कि देश के सभी मेहनतकशों, उत्पीड़ितों तथा शोषित तबकों के साझा आंदोलन में शामिल हों, ताकि इन मांगों को पूरा कराया जा सके और देश में मूलगामी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपांतरण भी लाया जा सके।

1. **भूमि सुधारः** केंद्र व राज्य सरकारें फौरन भूमि सुधारों की प्रक्रिया शुरू करें, जिससे भूमिहीन खेत मजदूरों तथा गरीब किसानों को मुफ्त जमीन बांटी जा सके। मौजूदा भूमि सुधार कानूनों के तमाम चोर दरवाजों को बंद

किया जाए। भूमि सुधार कानूनों को पलटने और बहुराष्ट्रीय निगमों तथा बड़े व्यापारिक घरानों को जमीनें थमाने की तमाम योजनाओं को फौरन रद्द किया जाए।

2. **आरक्षण:** विशेष भर्ती अभियान चलाकर सीटों पर, पदों पर तथा पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के तमाम पिछले बकाया की पूर्ति की जाए। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण को कमजोर करने वाले जो तीन ओ एम 1997 में जारी किए गए थे, उनके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए तीन संविधान संशोधन किए जाएं। 1997 से पहले का रिक्तियों पर आधारित रोस्टर बहाल किया जाए। एक सर्वसमावेशी कानून बनाया जाए जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के लिए रोजगार तथा शिक्षा में आरक्षण के सभी पहलुओं को ले आया जाए।

3. **विशेष घटक योजना:** सभी राज्यों में समुचित रूप से विशेष घटक योजना को लागू किया जाए, जिसमें दलितों की आबादी के हिसाब से फंडों का समुचित आवंटन किया जाए। दलितों की वास्तविक दशा का आकलन करने के लिए, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था भी शामिल है, एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। राज्य स्तर पर ऐसे आयोगों का गठन किया जाए जो आरक्षण की व्यवस्था समेत, अनुसूचित जातियों से जुड़ी सभी योजनाओं के पालन की निगरानी करेंगे।

4.**ढांचागत विकास:** अनुसूचित जाति के इलाकों में ढांचागत विकास जैसे सड़क, पानी, स्वास्थ्य, संस्कृति तथा अन्य जरूरतों को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए। ढांचागत विकास के लिए फंड का आवंटन करते समय, हरेक मद में अनुसूचित जाति के इलाकों के लिए अलग से प्रावधान किया जाए।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों की ऐसी जमीनों के लिए, जिनकी सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन है नहीं कुंओं के जरिए, सामुदायिक कुंओं, बोर वैलों, सामुदायिक बोर वैलों व ट्यूब वैलों, बंधेरों, चैक-डैम, लिफ्ट आदि के जरिए सिंचाई की व्यवस्था फौरन हाथ में ली जाए तथा उसे लागू किया जाए।

5.**अस्पृश्यता मिटाओ:** अस्पृश्यता के सभी रूपों को देश भर से मिटाया जाए। इसके लिए प्रासंगिक कानूनों को सख्त बनाया जाए, उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और सबसे महत्वपूर्ण, एक जनांदोलन छेड़ा जाए।

6. **अत्याचारों से सुरक्षा:** केंद्र सरकार 1989 के अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून में संशोधन करे तथा उसे कड़ा बनाए। इस सिलसिले में विशेष अदालतों का प्रावधान किया जाए, जिनके न्यायाधीशों पर, जांच अधिकारियों पर और सार्वजनिक अभियोक्ताओं पर भी, दूसरे किसी का काम का बोझ नहीं रहे। सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार और इस तरह की ब्लैकमेलिंग को भी, उल्लेखनीय अपराधों में शामिल किया जाए। अत्याचार के शिकार होने वालों तथा अत्याचारों के भुक्तभोगियों के लिए पूर्ण आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।

7. **रोजगार:** निजीकरण की मुहिम को रोका जाए क्योंकि यह राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की लूट, बढ़ती बेरोजगारी, आरक्षणों में कटौती तथा भ्रष्टाचार के फल-फूलने की ओर भी ले जाती है। केंद्र सरकार एक कानून बनाकर निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान करे, जिसकी लंबे अर्से से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों द्वारा मांग की जाती रही है। अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर जुटाने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाएं। काम के अधिकार को, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए।

8. **शिक्षा:** शिक्षा के व्यापारीकरण को रोका जाए क्योंकि निजी प्रबंधन में चलने वाली शिक्षा संस्थाओं की बहुत ऊंची फीसों तथा उनमें वसूले जाने वाले डोनेशन का बोझ सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के छात्र उठा नहीं सकते हैं। इस संबंध में जरूरी है कि केंद्र सरकार शिक्षा पर अपना आवंटन बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के 6 फीसद के स्तर पर करे। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए विशेष छात्रवृत्तियां दी जाएं। समाज कल्याण होस्टलों की छात्रवृत्ति बढ़ायी जाए और इन होस्टलों को बेहतर बनाया जाए। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौम बनाने तथा सैकेंडरी शिक्षा का विस्तार करने के लिए कदम उठाए जाएं। अनूसूचित जाति के छात्रों में बीच से पढ़ाई छोड़ने वालों का अनुपात घटाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं।

9. **खेत मजदूर:** खेत मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून का देश भर में कड़ाई से पालन हो। खेत मजदूरों के लिए एक सर्वसमावेशी कानून बनाने की मांग भी लंबे अर्से से चली आ रही है और अविलंब यह कानून बनाया जाए। अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा खेत मजदूरों के लिए घर बनाने के लिए जमीनें दी जाएं।

10. **ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम:** राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून का देश भर में कड़ाई से पालन किया जाए और जनता को, उसके जनसंगठनों को तथा पंचायती राज संस्थाओं को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इस कानून का सभी जिलों तक और देश के शहरी इलाकों तक भी विस्तार किया जाए।

11. **सार्वजनिक वितरण व्यवस्था:** सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सार्वभौम बनाया जाए ताकि सभी को भोजन मिलना सुनिश्चित किया जा सके। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, गरीबी की रेखा के नीचे के राशन कार्ड सभी गरीब परिवारों को दिए जाएं, जिनमें जाहिर है कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों की बड़ी संख्या होगी। गरीबी की रेखा के नीचे के तबके के लिए, अंत्योदयवाली दरों पर अनाज मुहैया कराया जाए।

12. **ऋण:** किसानों तथा खेत मजदूरों के लिए कृषि ऋण 4 फीसद ब्याज दर पर मुहैया कराए जाएं। शहरी व ग्रामीण, दोनों ही तरह के इलाकों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए ऋण सुविधाओं का विस्तार किया जाए और रियायती ब्याज दरों पर ऋण मुहैया कराए जाएं।

13. **बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी:** बंधुआ मजदूरों की पूर्ण मुक्ति तथा पूर्ण पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। बाल मजदूरी की जघन्य व्यवस्था को खत्म किया जाए और संबंधित बच्चों का समुचित पुनर्वास किया जाए तथा उन्हें शिक्षित किया जाए।

14. **सफाईकर्मी:** मैला उठाने के कामों में लगे सफाईकर्मियों की पूर्ण मुक्ति तथा पूर्ण पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। सफाई सेवाओं में तथा दूसरी ऐसी सेवाओं में जहां संख्या के लिहाज से अनुसूचित जातियों व जनजातियों का ही बोलबाला है, ठेका मजदूरी का सहारा लिए जाने पर रोक लगायी जाए और इन कर्मचारियों को शामिल कर, आवश्यक सुधार किए जाएं। और सफाई कर्मचारियों की मुक्ति व पुनर्वास के लिए केंद्रीय निगरानी कमेटी और राज्य, जिला तथा म्युनिसिपल स्तर पर कमेटियों को फिर से सक्रिय किया जाए।

15. **अंतर्जातीय विवाह:** अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए ऐसे दंपतियों को विवाह के फौरन बाद विशेष रूप से सस्ती आवास सुविधा तथा अन्य सुविधाएं मुहैया करायी जाएं। सचेत रूप से ऐसे अंतर्जातीय विवाहों को समर्थन दिया जाए और ऐसे आयोजन बनाया जाए, जिनमें उनकी जबर्दस्त सामाजिक हिस्सेदारी हो तथा जिनके लिए भारी सामाजिक अनुमोदन हो। ❑

अखिल भारतीय जनवादी महिला समितिः संघर्ष के 25 साल

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (ए आइ डी डब्लू ए), जो 22 राज्यों में 90 लाख की सदस्यता के साथ देश में महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन है, की 25वीं सालगिरह गत 12 फरवरी को नयी दिल्ली के विठ्ठलभाई पटेल हाऊस में मनायी गयी।

ए आइ डी डब्लू ए का झंडा फहराने के बाद अध्यक्ष सुभाषिणी अली ने संगठन के उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने आतंकवाद, देशद्रोही पृथकतावादियों, भूस्वामियों और पूंजीवादियों के गुंडों के खिलाफ संघर्ष करते हुए और गरीब महिलाओं तथा उनके परिजनों के जीवन में सुधार के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उनके संघर्षों तथा बलिदानों ने देश भर में संगठन के अनगिनत नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया है।

ए आइ डी डब्लू ए के संस्थापकों में रही पापा उमानाथ तथा मल्लू स्वराज्यम इस अवसर पर उपस्थित थीं। पापा उमानाथ आजादी से पहले तथा आजादी के बाद के मजदूर वर्ग के जुझारू आंदोलनों की नेता रही हैं और उन्होंने अपने यौवन के अनेक वर्ष जेलों में गुजारे हैं। वे दशकों तक महिला आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में रही हैं। मल्लू स्वराज्यम तेलंगाना के सशस्त्र किसान संघर्ष की नायिका रही हैं और महिलाओं तथा गरीबों के अधिकारों की अथक लड़ाका हैं।

पापा उमानाथ ने इस अवसर पर विशेष रूप से प्रकाशित की गयी पुस्तिका का लोकार्पण किया। इस पुस्तिका में रोटी, पानी, रोजगार तथा जमीन जैसे मुद्दों पर ए आइ डी डब्लू ए के नेतृत्व में चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण अभियानों को सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने इस पुस्तिका की पहली प्रति डा0 वीना मजूमदार को पेश की जो देश में महिला अध्ययन आंदोलन के अगुवाओं में रही हैं। मार्च 1981 में तमिलनाडु में चेन्नई में हुए ए आइ डी डब्लू ए के स्थापना सम्मेलन का उद्घाटन भी उन्होंने ही किया था।

ए आइ डी डब्लू ए के जिन राष्ट्रीय महिला संगठनों के साथ सहयोग का लंबा तथा समृद्ध इतिहास रहा है, उन संगठनों के प्रतिनिधियों–ज्योत्सना चटर्जी (जे डब्लू पी), मैरी खेमचंद (वाइ डब्लू सी ए), प्रमिला लुंबा (एन एफ आइ डब्लू), सुमन कृष्णकांत (एम डी एस) तथा सैयदा हामिद (मुस्लिम वीमेंस फोरम)–ने इस मौके पर अपनी शुभकामनाएं दी। सीटू, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन, डी वाइ एफ आइ तथा एस एफ आइ आदि जनसंगठनों के प्रतिनिधियों ने भी खुशी के इस अवसर पर ए आइ डी डब्लू ए को बधाइयां दी।

बृंदा कारात, जो अनेक वर्षों तक ए आइ डी डब्लू ए की सबसे ज्यादा प्रेरणादायी तथा नयी राह दिखानेवाली महासचिव रही हैं और जो अब इसकी उपाध्यक्ष और सांसद हैं,ने अपने प्रभावशाली मुख्य भाषण में महिलाओं के प्रश्नों पर ए आइ डी डब्लू ए की समझ और उन चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला, जिनसे भविष्य में दो-चार होना पड़ेगा। उन्होंने साम्राज्यवादी विश्वीकरण के हमले, नए सिरे से सामने आ रहे सांप्रदायिकता के खतरे और इनसे पैदा होनेवाली बहु-आयामी हिंसा के मद्देनजर संयुक्त कार्रवाइयों की भारी जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि ए आइ डी डब्लू ए इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी।

सुप्रसिद्ध नुकड़ नाटक ग्रुप जन नाट्य मंच (जनम) ने इस अवसर पर "औरत" नाटक का मंचन किया, जिसमें दिखाया गया है कि जीवन के विभिन्न चरणों में कितनी असमानताओं तथा शोषण का सामना करना पड़ता है। इस नाटक में यह दिखाया गया है कि इस चुनौती का मुकाबला करने का एक ही रास्ता है और वह सामूहिक तथा संगठित संघर्ष।

ए आइ डी डब्लू ए की महासचिव सुधा सुंदररमण ने यथास्थिति को चुनौती देने की ए आइ डी डब्लू ए की प्रतिबद्धता और विभिन्न स्तरों पर हस्तक्षेप कर न्याय के लिए लड़ने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने और समर्थन देने के लिए आनेवाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। परचम ग्रुप के सामूहिक गान के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। ❑

(पेज 13 का शेष)

महिलाओं के रात्रि पाली कार्य पर पाबंदी जारी रखी जाए।

9. आईटी क्षेत्र की सभी संस्थाओं जिनमें काल सेंटर भी शामिल हैं, में महिला कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी की जाएं तथा उनमें सुधार लाया जाए। आधारभूत सुविधाएं जैसे अलग टोएलेट, आराम के लिए कमरा, यातायात इत्यादी को सख्ती से सुनिश्चित करें।

10. मातष्व छुट्टियों को मजदूरी के साथ छः माह तक बढ़ाया जाए।

11. असंगठित क्षेत्रों में महिला कार्यकर्ताओं को पेंशन दी जाए, भवन निर्माण में महिला कार्यकर्ताओं की पेंशन आयु 50 वर्ष से घटायी जाए, बिना किसी देरी के कल्याण बोर्ड स्कीम जारी की जाए, दसवीं एवं बारहवीं कक्षा की बालिकाओं के लिए सरकारी कल्याण स्कीम के अन्तर्गत तुरन्त सभी भुगतान किए जाएं, बीड़ी, भवन निर्माण, मत्स्य, माचिस उद्योग, खेतिहरों को वर्षा सूखे के समय काम ना होने की स्थिति में बेरोजगारी या मेंटीनेंस भत्ता दिया जाए।

12. चेन्नैई, सभी जिला मुख्यालयों तथा औद्योगिक शहरों में महिलाओं की स्पेशल बसों की संख्या बढ़ाई जाए।

13. सभी कार्यस्थलों पर जहां महिलाएं बड़ी संख्या में कार्य करती हैं, सरकारी क्रेचों की व्यवस्था क्री जाए। ❑

के. हेमलता द्वारा आल इंडिया फेडरेशन आफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स के लिए, ए-13, राऊस एवेन्यू नई दिल्ली-2 से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, जीटी रोड, शाहदरा दिल्ली-95 से मुद्रित।